Seventeenth Lok Sabha
II Session (18/11/2019 to 13/12/2019)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

संख्या 38

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्रम सं॰	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र	राज्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रिंस राज	समस्तीपुर	बिहार	शपथ	हिन्दी
2.	श्री हिमाद्री सिंह	शहडोल	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
3.	श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटील	सतारा	महाराष्ट्र	शपथ	अंग्रेजी
4.	श्री डी॰एम॰ कथिर आनंद	वेल्लोर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल

पूर्वाह्न 11.07 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने डॉ॰ सुधीर राय, सदस्य, आठवीं से दसवीं लोक सभा; श्री राजा परमशिवम, सदस्य, बारहवीं लोक सभा; श्रीमती सुषमा स्वराज, सदस्य, ग्यारहवीं, बारहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा; श्री जगन्नाथ मिश्र, सदस्य, पांचवीं लोक सभा; श्री अरुण जेटली, वर्तमान सदस्य, राज्य सभा; श्री सुखदेव सिंह, सदस्य, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा; श्री राम जेठमलानी, वर्तमान सदस्य, राज्य सभा और सदस्य, छठी और सातवीं लोक सभा; डॉ॰ नारामल्ली शिवप्रसाद, सदस्य, पन्द्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा; श्री बी॰ एल॰ शर्मा 'प्रेम' सदस्य, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा; और

श्री गुरुदास दास गुप्ता, सदस्य, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

4. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 1 से 4 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न सं॰ 5-7 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न सं॰ 5 और 7 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 8—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)** ने संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) राष्ट्रपति 18 सितम्बर, 2019 को प्रख्यापित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रतिषेध (उत्पादन,

विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 14)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 20 सितम्बर, 2019 को प्रख्यापित कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 15)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) 31 मार्च, 2019 को भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के 49वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की छमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में रुझान की अर्द्धमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2691(अ) जो 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 15वें वित्त आयोग के निदेश पदों में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्मों का पंजीकरण) (संशोधन) विनिमय, 2019 जो 26 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ आईआरडीएआई/रेग./9/160/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2672(अ) जो 26 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन कतिपय वर्गों के व्यक्तियों को कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 513(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 514(अ) जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं॰ 21/2019-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या एमबीजीबी/ एचओ/एचआरडीडी/11428/18एस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 12 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या एमबीजीबी/एचओ/ एचआरडीडी/11428/18/पी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 4341/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 4341/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मालवा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या एमजीबी/सेवा विनियम (संशोधन)/19 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) मालवा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या एमजीबी/पेंशन विनियम/01 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सतलज ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या एसजीबी (सेवा संशो॰) विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सतलज ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 30 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या एसजीबी (पेंशन पंजी॰) 2018 में प्रकाशित हुए थे।

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019 जो 30 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीएआई/पंजी॰/10/161/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) विनियम, 2019 जो 30 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीएआई/ पंजी॰/11/162/2019 में प्रकाशित हुए थे।

अपराह्न 12.02 बजे

7. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि 6 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन)विधेयक, 2019 को पारित कर दिया है।

8. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019

अपराह्न 12.02 बजे

9. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सूचित किया कि उन्हें महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री छ. उदयनराजे भोंसले से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ था और यह कि उन्होंने 14 सितंबर, 2019 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

10. प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.21 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन और श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि ने शिक्षकों द्वारा कथित भेदभाव के कारण आईआईटी चेन्नई में एक छात्र द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने के बारे में निवेदन किया।

एडवोकेट अब्दुल माजिद आरिफ, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती अपरूपा पोद्दार और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले सहयोजित हुए।

%डॉ॰ रमेश पोखरियाल ''निशंक'' ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.09 बजे

(दो) श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्री मनोज कुमार तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषित पेयजल के बारे में निवेदन किया।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल सहयोजित हुए।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 2.01 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

% मानव संसाधन विकास मंत्री।

&श्री रामविलास पासवान ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 2.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.02 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 3.02 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री धर्मवीर सिंह ने हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन तथा सैनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री राजू बिष्ट ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय-क्षेत्र, तराई और दुवार क्षेत्रों की जनता की लंबे समय से लंबित मांग के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री देवजी एम॰ पटेल ने राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों के सभी स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों में टीबी औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री चुन्नी लाल साहू ने छत्तीसगढ़ में उन किसानों, जिनकी फसलों को तेज हवाओं और मूसलाधार वर्षा के कारण क्षति पहुंची है को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्रीमती रमा देवी ने बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगार बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) डॉ॰ निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 331 को चौड़ा किए जाने और उसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश ने केरल के अटिंगल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर एक बाईपास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने केरल में काजू उत्पादकों द्वारा सामना किए जा रहे पेंशन संबंधी मुद्दों के बारे में मामला उठाया।

&उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(10) श्री ए॰ राजा ने तमिलनाडु के ऊटी में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन के बंद होने के बारे में मामला उठाया।

(11) श्रीमती प्रतिमा मंडल ने पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्लास्टिक पुनर्चक्रण इकाई की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री रघुराम कृष्णराजू कनुमुरू ने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा — भीमावरम रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक ने कोल्हापुर में बंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री कौशलेन्द्र कुमार ने बिहार को विशिष्ट श्रेणी का दर्जा दिए जाने के आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री कुँवर दानिश अली ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में छात्रावास शुल्क तथा अन्य प्रभारों में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी ने तेलंगाना को 77 लाख मीट्रिक टन यूरिया के आवंटन के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री मोहम्मद फैजल पी॰पी॰ ने लक्षद्वीप में मश्मीन (सूखी ट्यूना मछली) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री मोहन एस॰ देलकर ने दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसमी वर्षा के कारण फसलों की क्षति उठाने वाले किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री खगेन मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के माल्दा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी के आर्सेनिक संदूषण की समस्या के निवारण के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(20) डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव ने कर्नाटक के गुलबर्गा में ईएसआईसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लंबित कार्यों के बारे में मामला उठाया।

(21) श्री विष्णु दत्त शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बरियारपुर नहर के साथ-साथ सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने को सुकर बनाए जाने जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(22) डॉ॰ शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम् समुद्र-तट के साथ-साथ समुद्री दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.45 बजे

13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 2 घंटे 19 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से श्री अनुराग ठाकुर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सप्तगिरि शंकर उलाका
2. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
3. श्री के॰ वीरस्वामी
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री रघु राम कृष्ण राजू
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. डॉ॰ आलोक कुमारसुमन
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय
10. श्री के॰ प्रभाकर रेड्डी
11. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

12. श्री एच॰ वसंतकुमार
13. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
14. श्री जैदेव गल्ला
15. श्री एन॰ के॰ प्रेमचंद्रन
16. श्री दिलीप घोष

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.04 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 19 *नवम्बर,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3405LS(S3)—18-11-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 (शक)

संख्या 39

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

वे सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न सं॰ 21 और 22 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न सं॰ 21 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न सं॰ 23-25 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याओं 26-40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231-460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री श्री अमित शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 12 नवम्बर, 2019 की उद्घोषणा, जो 12 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 837(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 12 नवम्बर, 2019 का आदेश, जो 12 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 838(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) महाराष्ट्र के राज्यपाल के 12 नवम्बर, 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2019 जो 30 अक्तूबर 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3912(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2019 जो 2 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3979(अ) में प्रकाशित हुआ था।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 21 जून, 2019 को सभा में प्रस्तुत पिछले प्रतिवेदन के पश्चात् 17वीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019;
2. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2019;
3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019;
4. दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक, 2019;
5. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019;

6. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019;
7. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019;
8. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019;
9. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019; और
10. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019.

(दो) महासचिव ने संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 20 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019;
2. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019;
3. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019;
4. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019;
5. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019;
6. दंत-चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019;
7. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019;
8. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019;
9. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019;
10. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019;
11. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019;
12. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019;
13. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019;
14. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019;
15. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019;
16. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019;
17. मजदूरी संहिता, 2019;
18. निरसन और संशोधन विधेयक, 2019;
19. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019; और
20. सार्वजनिक स्थल (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019;

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का 8वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ जयंत कुमार राय ने 'टाटा मेमोरियल केन्द्र (टीएमसी) के विस्तारित नेटवर्क द्वारा भारत में कैंसर उपचार में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए विस्तृत भूमिका' के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का 325वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री जगदम्बिका पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा, सभा की लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए श्री भुवनेश्वर कालिता के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण *उनके स्थान पर* समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित होने के लिए अपने में से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिशि करती है कि राज्य सभा, सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह नागर के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण *उनके स्थान पर* समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित होने के लिए अपने में से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उप-नियम (3) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के

---

*प्रतिवेदन 11 नवम्बर, 2019 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन माननीय अध्यक्ष लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

लिए श्री रामचन्द्र पासवान के निधन के कारण *उनके स्थान पर* समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**(लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 3.03 बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 3.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री अशोक कुमार रावत ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई जिलों में ''84 कोसी परिक्रमा पथ'' का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री गणेश सिंह ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में पट्टे पर दी गई तथा अनुपयुक्त पड़ी हुई सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री एस॰ मुनिस्वामी ने कर्नाटक में वाइडफील्ड से चित्तूर वाया मुलाबबगाले रेलवे लाइन बिछाए जाने के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री सुधारकर तुकाराम शृंगरे ने महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या को सुलझाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री सुशील कुमार सिंह ने बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्रीमती दिया कुमारी ने राजस्थान में सरकारी एजेंसियों द्वारा मूंग की खरीददारी की ऊपरी सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री जी॰एस॰ बासवराज ने मौजूदा मुक्त व्यापार करारों की उपयोगिता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री रेवती त्रिपुरा ने भूमि पट्टों के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री प्रवेश साहिब सिंह ने आवासीय परिसरों के व्यावसायिक उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली विधियों के क्रियान्वयन की निगरानी संबंधी समिति को भंग किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(10) श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्यूबवैल चलाने के लिए किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री जुएल ओराम ने राउरकेला को स्मार्टसिटी के रूप में विकसित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ओडिशा के रायगढ़ जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री टी॰एन॰ प्रथापन ने विशेष सांस्कृतिक धरोहर तीर्थयात्री पर्यटन सर्किट के बारे में मामला उठाया।

(15) श्रीमती (डॉ॰) तमिझाची थंगपंडियन ने बोरवेल में गिरने के कारण होने वाली मौतों के बारे में मामला उठाया।

(16) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित तारकेश्वर रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री लावु कृष्णदेव रायलु ने निजी सुरक्षा उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्या के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री गिरधारी यादव ने बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरभिगा से पंजवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 333क के खंडों पर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(20) श्री रितेश पांडेय ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान की फसल पर कीट आक्रमण के बारे में मामला उठाया।

(21) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी ने तेलंगाना में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के बारे में मामला उठाया।

(22) एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ ने बीपीसीएल के निजीकरण के बारे में मामला उठाया।

(23) श्री एन०के० प्रेमचंद्रन ने केरल में कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.40 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 2 घंटे 50 मिनट

श्री मनीष तिवारी ने वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पिनाकी मिश्र
2. श्री प्रवेश साहिब सिंह
3. डॉ॰ टी॰ सुमथि (ए) तमिझाची थंगापंडियन
4. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
5. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी
6. श्री अरविंद गणपत सावंत
7. श्री दिलेश्वर कामेत
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री नामा नागेश्वरराव
10. डॉ॰ अमर सिंह
11. श्री गौतम गंभीर
12. एडवोकेट अब्दुल माजिद आरिफ
13. श्री पी॰ रवीन्द्र नाथ कुमार
14. श्री मनोज कुमार तिवारी
15. डॉ॰ संजय जायसवाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.30 बजे

(लोक सभा बुधवार, 20 *नवम्बर,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3459LS(S3)—19.11.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 20 नवंबर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

संख्या 40

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याओं 41—44 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याओं 45—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याओं 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 20 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 810(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण और अनुज्ञापीकरण (संशोधन) नियम, 2019, जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 637(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित ''भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति'' पर सूचना प्रौद्योगिकी संबधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.04 बजे

5. प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 19 नवंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.07 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

श्री दयानिधि मारन ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने उस पर विनिर्णय दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.29 बजे# स्थगित हुई और अपराह्न 2.33 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.33 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री विनोद कुमार सोनकर ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर तथा केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री पशुपति नाथ सिंह ने झारखंड के धनबाद जिले में सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'कृषि मेला' आयोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री छत्तर सिंह दरबार ने मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जिन किसानों को फसलों की क्षति हुई, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा ने गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पट्टा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जिन किसानों को फसलों की क्षति हुई, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री हिबी इडन ने बीपीसीएल विनिवेश के बारे में मामला उठाया।

---

*मूल हिंदी में। ब्यौरे के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(8) श्री वी॰के॰ श्रीकंदन ने जीआरईएफ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) डॉ॰ टी॰के॰ पारिवेन्धर ने तमिलनाडु के पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर ने पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा एकत्र किए जा रहे एमबीए प्रभारों के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री राहुल रमेश शेवाले ने बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के बारे में मामला उठाया।

(12) डॉ॰ आलोक कुमार सुमन ने बिहार के गोपालगंज जिले में रेल संपर्क के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री हनुमान बैनिवाल ने राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा दिए जाने के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री सी॰पी॰ जोशी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले को जनजातीय सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) डॉ॰ सुजय विखे पाटिल ने महाराष्ट्र में किसानों को राज्य में हुई बेमौसमी वर्षा के कारण फसलों की हुई क्षति के कारण उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने आरसीएस उड़ान योजना के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने देश में केन्द्रीय लोक सेवकों को प्रदत्त आवासीय तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(18) श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने तपेदिक रोग से निपटने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री ए॰ गणेशमूर्ति ने औषधीय पौधों की स्वीकृत सूची में पुष्प जनक पौधे की एक प्रजाति ग्लोरिओसा सुपरवा को शामिल किए जाने के बारे में मामला उठाया।

@(20) श्री के॰ नवसकनी ने वक्फ संपतियों के बारे में।

@माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार सदस्य को अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई।

अपराह्न 3.05 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 5 घंटे 51 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जसबीर सिंह गिल
2. डॉ॰ सुभाष सरकार
3. श्री हनुमान बैनिवाल
4. श्री पी॰आर॰ नटराजन
5. श्री भगवंत मान
6. सुश्री प्रतिमा भौमिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. प्रो॰ सौगत राय
9. श्री अनुराग शर्मा
10. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
11. डॉ॰ ढाल सिंह बिसेन
12. श्री एम॰ सेल्वाराज
13. श्री अजय भट्ट
14. श्री पी॰पी॰ चौधरी
15. श्री ओम प्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिम्बलकर
16. श्री अमर सिंह
17. श्री अधीर रंजन चौधरी

18. श्री मलूक नागर

19. श्री राजीव प्रताप रूडी

*20. श्री गिरिराज सिंह

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

$सायं 7.17 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 21 *नवंबर,* 2019 *के पूर्वाहन* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री।

$सायं 6.06 से 7.17 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—3498LS(S3)—20-11-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 नवंबर, 2019/30 कार्तिक, 1941 (शक)

संख्या 41

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—65 तथा 68 के मौखिक उत्तर दिए गए। वे सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 66 और 67 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 69—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजकुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड तथा एनएचपीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी इकाइयों के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी इकाइयों का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2018 जो 4 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 333(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (सातवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1096(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 555(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन नियम, 2019 जो 26 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 692(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 761(अ) जो 7 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (हैंडलिंग फ्रेट कंटेनर्स कैरींग डेंजरस और हजार्डस कार्गो) विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 778(अ) जो 14 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (लाइसेंसिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एंड शोर हैंडलिंग) विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(2) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन।

(चार) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षा लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मोर्मुगाओ पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मोर्मुगाओ पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मोर्मुगाओ पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मोर्मुगाओ पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकात्ता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकात्ता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद सारंगी) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) का॰आ॰ 5621(अ) जो 2 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने वाले क्रेताओं के संबंध में अनुदेशों के बारे में है।

(2) का॰आ॰ 5622(अ) जो 2 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो टीआरईडीएस पर बड़े उद्यमों की ऑन-बोर्डिंग के बारे में है।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि अपनी 19 नवम्बर, 2019 को हुई बैठक में, राज्य सभा, लोक सभा द्वारा पारित जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड में दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. राष्ट्रीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड में दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**(लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.04 बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराह्न 3.04 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री रविन्दर कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ''कृषि मेला'' आयोजित किए जाने के बारे में।

(2) श्री विन्सेंट एच॰ पाला ने मेघालय में शिलांग को दावकी से जोड़े जाने के बारे में।

(3) श्री डी॰ रविकुमार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि किए जाने के बारे में।

(4) डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यवती ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नरसीपट्टनम-तूनी राज्य राजमार्ग को शामिल किए जाने के बारे में।

अपराह्न 3.06 बजे

8. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 6 घंटे 10 मिनट

श्री मनीष तिवारी द्वारा 19 नवंबर, 2019 को वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर उठाए गई चर्चा पर आगे की बहस जारी रही।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ संजय जायसवाल (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री भगवंत मान
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
5. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री राजीव प्रताप रूडी
8. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
9. डॉ॰ शशि थरूर
10. श्री रघु रामकृष्ण राजू कनूमुरू
11. श्रीमती सुनीता दुग्गल
12. श्री अनुभव मोहंती
13. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
14. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
15. श्री रितेश पाण्डेय
16. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
17. श्री राहुल रमेश शेवाले
18. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
19. श्री भोला सिंह
20. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
21. श्री दोद्दालाहल्ली केंपेगौड़ा सुरेश

22. डॉ॰ सुभाष सरकार

23. श्री गिरीश चन्द्र

24. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.26 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 22 नवंबर, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3583LS(S3)—21-11-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2019/1 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 42

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82 (86, 87 और 99 के साथ युग्मित), 83 के मौखिक उत्तर दिए गए। वे, सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 84 और 85 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 84 और 85 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 88-89 और 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और हाम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक ने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, शिलांग के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ महीने की

निर्धारित अवधि के अंदर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखी।

स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के अंदर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 2019, जो 21 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एफ॰ 14-3/69(98) कोआर्डिनेशन सेल/स्था॰ (भाग-2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 2019, जो 26 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 693(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन' के बारे में 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.02 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 नवम्बर, 2019 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

6. राष्ट्रीय जूट बोर्ड में दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

"कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

"कि श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. अध्यादेश के बारे में विवरण

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 14) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019

*अपराह्न 12.27 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 7 घंटे 49 मिनट

श्री मनीष तिवारी द्वारा नवंबर, 2019 को वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर प्रारंभ की गई चर्चा पर आगे की चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती प्रतिमा मंडल
2. श्री दुर्गा प्रसाद राव बल्ली
3. श्री निहाल चंद चौहान
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

उन्होंने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

चर्चा पूरी हुई।

(लोक सभा अपराह्न 2.06 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.30 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 3.36 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

1. श्री अजय भट्ट, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 44 का लोप आदि)*
2. श्री अजय भट्ट, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(आठवीं अनुसूची का संशोधन)*
3. श्री अजय भट्ट, संसद सदस्य का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019
4. डॉ॰ संजय जायसवाल, संसद सदस्य का आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 3 और 7 का संशोधन)*

---

*अपराह्न 12.18 बजे से अपराह्न 12.27 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

5. डॉ॰ संजय जायसवाल, संसद सदस्य का गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 3 का संशोधन, आदि)*

6. डॉ॰ संजय जायसवाल, संसद सदस्य का सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2019 *(धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)*

7. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का आंगनवाड़ी कार्यकता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2019

8. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नई धारा 10ङ का अंत:स्थापन, आदि)*

9. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 3 का संशोधन, आदि)*

10. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, संसद सदस्य का उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथों के लिए अनिवार्य मूल सुविधाएं विधेयक, 2019

11. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, संसद सदस्य का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण विधेयक, 2019

12. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, संसद सदस्य का बालिका और किशोरियां (कल्याण) विधेयक, 2019

13. प्रो॰ सौगत राय, संसद सदस्य का पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

14. प्रो॰ सौगत राय, संसद सदस्य का चाय बागान कामगार (देय का यथासमय संदाय) विधेयक, 2019

15. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का खेलकूद का अधिकार विधेयक, 2019

16. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2019

17. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 2 का संशोधन, आदि)*

18. श्री फिरोज वरुण गांधी, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 62 का संशोधन)*

19. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (*अनुच्छेद 10 का संशोधन*)
20. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (*नई धारा 16क का अंत:स्थापन*)
21. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (*नये अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन*)
22. डॉ॰ सत्यपाल सिंह , संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (*अनुच्छेद 15 का संशोधन, आदि*)
23. डॉ॰ सत्यपाल सिंह , संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019
24. श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (*नई धारा ङ का अंत:स्थापन, आदि*)
25. श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य का महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2019
26. श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (*नये अनुच्छेद 30क का अंत:स्थापन*)
27. श्री सी॰ पी॰ जोशी, संसद सदस्य का अफीम उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2019
28. श्री सी॰ पी॰ जोशी, संसद सदस्य का राजस्थान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

अपराह्न 3.53 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

श्री जनादर्न सिंह ''सीग्रीवाल'' द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए 12 जुलाई, 2019 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दुष्यंत सिंह (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. डॉ॰ सत्यपाल सिंह

3. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
4. श्री रवि किशन
5. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
6. प्रो॰ सौगत राय
7. श्री भगीरथ चौधरी
8. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
9. श्री पी॰ पी॰ चौधरी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 25 नवंबर, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3630LS(S3)—22.11.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/4 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 43

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

अध्यक्ष ने उस सदस्य का नाम पुकारा जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न सं॰ 101 सूचीबद्ध था, तथापि, संबंधित सदस्य ने तारांकित प्रश्न सं॰ 101 का अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 102 और 103 सूचीबद्ध थे, ने तारांकित प्रश्न सं॰ 102 और 103 पूछे। तारांकित प्रश्न सं॰ 102 का अनुपूरक प्रश्न पूछा गया। किन्तु व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न सं॰ 102 के मौखिक उत्तर नहीं दिए जा सके।

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न सं॰ 101-120 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न सं॰ 1151-1380 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

***2. सदस्यों को सभा से बाहर किया जाना**

चूंकि संसद सदस्यों सर्वश्री टी॰एन॰ प्रथापन और हिबी ईडन, सभा की कार्यवाही निरंतर बाधित करते रहे और उन्होंने सभा में तख्तियां प्रदर्शित न करने संबंधी अध्यक्षपीठ के निदेश की अवहेलना की। अत: अध्यक्ष ने उन्हें लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 373 के

---

*पूर्वाह्न 11.04 बजे।

अंतर्गत दिन भर के लिए सभा से बाहर चले जाने का निदेश दिया। तद्नुसार, दोनों सदस्यों को सभा से दिन भर के लिए बाहर कर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.01 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 12.01 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 13)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां—प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरथकल, के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरथकल, के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2016-2017 और 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, कराईकल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, कराईकल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 534(अ), जो 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल-जून 2019 की तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 को प्रस्तुत करने की तिथि को 31.08.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 583(अ), जो 20 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138ङ के उपबंध के अनुसार ई-वे बिल सुविधा की ब्लाकिंग तथा अनब्लाकिंग की सुविधा को लागू करने की तिथि का विस्तार करके इसे 21.11.2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 589 (अ), जो 21 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2019 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी को प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 615(अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के लिए फॉर्म आईटीसी-04 को दायर करने में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 616(अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त (सं॰ 2) अधिनियम, 2019 की धारा 103 को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 617 (अ), जो 21 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2019 माह के लिए जीएसटीआर–7 प्रस्तुत करने के लिए कुछ मामलों में अंतिम तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 618 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फॉर्म जीएसटीआर–1 तथा जीएसटीआर–6 के लिए जुलाई, 2019 माह हेतु कुछ मामलों में विलंब शुल्क में छूट देना है बशर्ते उक्त रिटर्न 20.09.2019 तक प्रस्तुत किए जाएं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 683 (अ), जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी (चौथा संशोधन) नियम, 2019 के नियम 10, 11, 12 तथा 26 को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 767 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक के माह हेतु फॉर्म जीएसटीआर–3बी में रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 768 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक की तिमाही हेतु 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु फॉर्म जीएसटीआर–1 को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 769 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक के माह हेतु 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु फॉर्म जीएसटीआर–1 में रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 770 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 करोड़ रुपए से कम के कुल कारोबार वाले छोटे करदाताओं तथा जिन्होंने निर्धारित तिथि से पूर्व उक्त रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 हेतु सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44(1) के अंतर्गत वार्षिक रिर्टन दाखिल किए जाने को वैकल्पिक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 771 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं॰ 41/2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र सा॰का॰नि॰ 772(अ) में प्रकाशित केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (छठां संशोधन) नियम, 2019 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 809 (अ), जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18.10.2019 से 22.10.2019 तक चार दिवसों के लिए जुलाई—सितम्बर, 2019 की तिमाही हेतु फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 को दाखिल करने की अंतिम तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 820(अ), जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पर जम्मू कमीश्नरी के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं॰ 2/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 539(अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी को कम करके (क) ई-साइकिल सहित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत (ख) इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जर तथा चार्जिंग स्टेशनों पर 9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करने के लिए दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 540(अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने के लिए शून्य सीजीएसटी का उपबंध करने हेतु दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 709(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद् की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों को प्रभावी रूप देने के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं हेतु प्रभावी जीएसटी दरों को निर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 712(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सूखी इमली तथा पत्तों से बने हुए कप, प्लेटों, पौधों की छाल तथा फूलों को छूट प्रदान करने के लिए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 715(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एचईएलपी/ओएएलपी के अंतर्गत निर्दिष्ट परियोजनाओं पर रियायती जीएसटी दरों का विस्तार करने तथा अन्य परिवर्तनों के लिए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 3/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 718(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को नामित एजेंसियों द्वारा चांदी और प्लैटीनम की आपूर्ति पर सीजीएसटी छूट देने के लिए दिनांक 31.12.2018 की अधिसूचना सं॰ 26/2018-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा०का०नि० 721(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय समेकन योजना के क्षेत्राधिकार से ऐरेटिड वॉटर के विनिर्माताओं को अलग रखने के लिए दिनांक 7.3.2019 की अधिसूचना सं० 2/2019-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 724(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए वस्तुओं की आपूर्ति को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 729(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय समेकन योजना के क्षेत्राधिकार से ऐरेटिड वॉटर के विनिर्माताओं को अलग रखने के लिए दिनांक 7.3.2019 की अधिसूचना सं० 14/2019-केन्द्रीय कर को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 731(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद् की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दरों को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं० 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 734(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद् की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सेवाओं को छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना सं० 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 737(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद् की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विपरीत प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं० 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 740(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों की आपूर्ति से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनीयता पर एक स्पष्टीकरण को शामिल करके दिनांक 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ 4/2018-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 743(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दिनांक 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं॰ 7/2019-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 746(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के अनुसार मदिरा लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो वस्तु की आपूर्ति तथा न ही सेवा की आपूर्ति मानने को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 707(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 708(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू प्रतिस्थापकों के लिए इन्वर्टिड शुल्क ढांचे के मामले में प्रतिकर उपकर की वापसी को अनुमति न देना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 786(अ), जो 15 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महानिदेशक व्यापार उपचार

की दिनांक 15 जुलाई, 2019 की प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं॰ 6/4/2019-डीजीटीआर के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, एल्यूमीनियम और जिंक की मिश्र धातु के साथ प्लेटेड अथवा कोटेड' पर अधिरोपड़ की तारीख से छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 812(अ), जो 25 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाह्टेरा मास (उत्पादक, इण्डोनेशिया) और सिनारमस केप्सा पीटीई. लि॰ (निर्यातक, सिंगापुर), से निर्यात होने वाले और भारत में आयात होने वाले 'सेचूरेटेड फेट्टी एल्कॉहल्स' पर न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जैसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं॰ 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 जून, 2018 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 813(अ), जो 25 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाह्टेरा मास (उत्पादक, इण्डोनेशिया) और सिनारमस केप्सा पीटीई. लि॰ (निर्यातक, सिंगापुर), से निर्यात होने वाले और भारत में आयात होने वाले 'सेचूरेटेड फेट्टी एल्कॉहल्स' पर न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं॰ 13/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 14 मार्च, 2019 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 495(अ), जो 12 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष नागरिक आवेदन सं॰ 5278/2019 के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात दिनांक 03.07.2019 के आदेश के अनुसरण में, चायना पीआर में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयातों पर अधिसूचना सं॰ 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28.10.2013 के तहत लगाए गए और अधिसूचना सं॰ 26/2019 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जून, 2019 के तहत अंतिम बार

विस्तारित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 27.10.2019 तक और आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 524(अ), जो 24 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में कोरिया जनवादी गणराज्य और थाइलैण्ड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 549(अ) जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 16/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 मार्च, 2018 को निरसित करना है जिससे कि बांग्लादेश में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) (बांग्लादेश) के द्वारा मूलत: उत्पादित और वहां से भारत को निर्यातित ''यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एन्ड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स'' के सभी आयातों का अनंतिम आंकलन बंद किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 550(अ) जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 1/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 में और आगे भी संशोधन करना है जिससे कि बांग्लादेश में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) (बांग्लादेश) के द्वारा मूलत: उत्पादित और वहां से भारत को निर्यातित ''यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एन्ड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स'' के सभी निर्यातों पर शुल्क तालिका के निर्यातकों की अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत अंतिम आंकलन निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 561(अ) जो 6 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26.02.2019 की अधिसूचना सं॰ 12/2019–सी॰शु॰ (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट उत्पादक के नाम में शुद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 568(अ) जो 10 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के सन्सेट रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ''विनाइल क्लोराइड मोनोमर के होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड)'' के आयात पर 30 महीने की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 600(अ) जो 29 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिपाटन जांच के अनुसरण में, छह माह की अवधि के लिए, चायना पीआर और कोरिया आरपी में उद्भूत एवं वहां से निर्यातित 'क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइन क्लोराइड रेसिन–चाहे यौगिक में आगे संशाधित किया गया है या नहीं' के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 640(अ) जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित, मैसर्स कुईतुन जिंजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि॰ (उत्पादक) और मैसर्स फोशन कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कंपनी लि॰ (निर्यातक) के द्वारा निर्यातित, और भारत में आयातित ''मेलामाइन'' के आयात से संबंधित न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं॰ 2/2016–सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 641(अ) जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में

उद्‌भूत और वहां से निर्यातित, मैसर्स कुईतुन जिंजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि० (उत्पादक) और मैसर्स फोशन कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कंपनी लि० (निर्यातक) के द्वारा निर्यातित, और भारत में आयातित ''मेलामाइन'' के आयात से संबंधित न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं॰ 11/2018–सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018 का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 656(अ) जो 14 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 11/2015–सी॰शु॰ (एडीडी) को निरसत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 657(अ) जो 14 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत या निर्यातित होने वाले 'कांच या पोरसेलेन/सेरमिक के विद्युत इन्सुलेटर, संकलित अथवा नहीं', के आयात पर संबंधित सनसेट रिव्यू जांच की अधिसूचना सं॰ 7/44/2018–डीजीएडी, दिनांक 17 जुलाई, 2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 691(अ) जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ब्राजील, चीन और जर्मनी देशों में उद्‌भूत या निर्यातित होने वाले ''नॉन–कोबाल्ट ग्रेड हाई स्पीड स्टील के बार और छड़, जिनका आयतन 4 एमएम से 163 एमएम तक हो और इसमें मोलिबडेनम, टंगस्टन और वनाडियम जैसे तीन तत्व हो जिसमें टंगस्टन और मोलिबेडीनेयम का संयोजन 4 प्रतिशत–11.5 प्रतिशत और वनाडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत हो, इसमें कार्बन की मात्रा 0.7 प्रतिशत 1.3 प्रतिशत तक हो और क्रोमियम की मात्रा 3.5 प्रतिशत से 4.6 प्रतिशत तक हो'', इस पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक के दिनांक 01.08.2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 696(अ) जो 28 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चायना पीआर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डक्टाइल आयरन पाइप्स' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है और इसे माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, 9 अक्तूबर, 2019 तक बढ़ाया गया था। माननीय उच्चतम न्यालाय ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अपास्त कर दिया है तथा परिणामस्वरूप अधिसूचना सं॰ 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 को अधिसूचना सं॰ 39/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 28.09.2019 के द्वारा निरसित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 610(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा आयोजित जांच की सिफारिशों के आधार पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन के सभी रूपों में इसके आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत निश्चित प्रतिकारी शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा॰का॰नि॰ 664(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'एटराजिन टेक्नीकल' के आयात पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक द्वारा करवाई गई जांच की सिफारिशों के आधार पांच वर्षों (17.09.2019 से लागू) के लिए कस्टम टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के तहत निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 665(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड टयूब्स' पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक के दिनांक 31.07.2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्षों के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 632(अ) जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशलय की सिफारिश के आधार पर अधिसूचना सं॰ 53/2011, दिनांक 01.07.2011 में संशोधन करना है जिससे कि मलेशिया में उद्‌भूत और भारत-मलेशिया बृहत आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत आयातित आरबीडी पामोलिन/पाम ऑयल पर 180 दिनों की अवधि के लिए सीमाशुल्क की दर में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 833(अ) जो 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 24/2018-सी॰शु॰ (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 834(अ) जो 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और मैसर्स एसएमपी इंटरनेशनल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर), मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश मैसर्स नातोर जूट मिल्स (उत्पादक) बांग्लादेश ओर मैसर्स पीएनपी जूट ट्रेडिंग एलएलसी (निर्यातक/ट्रेडर), यूएसए द्वारा बांग्लादेश से उद्‌भूत वहां से निर्यातित 'जूट सैकिंग बैग्स और यार्न' के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिसूचना सं॰ 1/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 को निरस्त करके आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 666(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करके ओपन सेल (15.6'' से और इससे अधिक) जिनका उपयोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाईट एमीटिंग डीओएड (एलईडी) टीवी पैनलों को बनाने के लिए किया जाता है,

इस पर आधार सीमाशुल्क को कम करे जो कि मौजूदा समय में 5 प्रतिशत है, को शून्य किया जाना है और कतिपय विशिष्ट माल जिनका उपयोग लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले (एलसीडी) और लाईट एमीटिंग डीओएड (एलईडी) टीवी पैनलों के ओपन सेल को बनाने के लिए किया जाता है जिस पर मौजूदा आधार सीमा शुल्क जो कि 15 प्रतिशत है, जिसे घटाकर 30 सितम्बर, 2020 तक शून्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 684(अ) जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 50/2017–सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करके हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी) तथा ओपन एक्रेज एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएलपी) के विशेष अनुबंधों के तहत पेट्रोलियम ऑपरेशन या कोल बेड मीथेन आपरेशन पर छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 726(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एफएओ द्वारा आयातों में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 706(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 39/96–सीमाशुल्क दिनांक 23.07.1996 में संशोधन करना है जिससे 03.12.2021 तक मूल सीमा शुल्क डयूटी (बीसीडी) से लेकर मशीनरी तक उपकरण, साधन, घटक, पुर्जे, औजार, सहायक उपकरण, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, माक अप और माडल, रक्षा मंत्रालय के लाईट काम्बेट एयर क्राफ्ट प्रोग्राम (एलसीएपी) के लिए अपेक्षित कच्चा माल और उपभोग सामग्री पर छूट उपलब्ध कराई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 727(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 50/2017–सी॰शु॰ में और संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 728(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं॰ 19/2019–सी॰शु॰ में और संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की

दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए आईजीएसटी विनिर्दिष्ट रक्षा वस्तुओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 543(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) का संशोधन करना है ताकि यूटीजीएसटी को (क) ई-बाइसिकिल सहित विद्युत वाहनों पर 6 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत (ख) विद्युत वाहनों के लिए चार्जर ओर चार्जिंग स्टेशनों पर 9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 544(अ) जो 31 जुलाई 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) का संशोधन करना है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विद्युत बसों को किराए पर लेने पर शून्य यूटीजीएसटी प्रदान किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 711(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी यूटीजीएसटी दर निर्दिष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 714(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि शुष्क इमली ताकि पत्तों से बने कपों, प्लेटों, पौधों की छाल और फूलों को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 717(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 3/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि एचईएलपी/ओएएलओ के

अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अन्य परिवर्तनों के लिए रियायती यूटीजीएसटी दरें प्रदान की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 720(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2018 की अधिसूचना सं॰ 26/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को चांदी और प्लेटिनम की आपूर्तियों पर यूटीजीएसटी में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 722(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07.03.2019 की अधिसूचना सं॰ 2/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वातित जलों के विनिर्माताओं को संरचना स्कीम के क्षेत्राधिकार से हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 725(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 732(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं की जीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 735(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 738(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कतिपय सेवाओं को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 741(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों के प्रदाय से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनियता पर स्पष्टीकरण शामिल करते हुए 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ 04/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 744(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि का संशोधन करने के लिए 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं॰ 07/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 747(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के साथ पठित यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 (झ) के अनुसार एल्कॉहलिक लिकर लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 591(अ) जो 22 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित या योजना अवधि के अंत तक जो भी पहले हो क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) हवाई अड्डा या हेलिपोर्ट या वॉटरड्रोम के परिचालन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक आरसीएस-उड़ान हवाई अड्डे या हेलिपोर्ट या वॉटरड्रोम से आहरित एटीएफ पर 2 प्रतिशत मूल उत्पाद शुल्क की वैधता को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार का संदाय) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/3/140/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/ 6/143/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 1 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/13/164/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य लोक सेवक केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएं) विनियम, 2019 जो 2 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/12/163/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2019 जो 2 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3743(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(कग)(घ) के अंतर्गत 'माल में विकल्प' को 'व्युत्पन्न' के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो 14 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालयी सहायक (एसएसए) तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 703(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 541(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-एकीकृत कर (दर) का संशोधन करना है ताकि आईजीएसटी को (क) ई-बाइसिकिल सहित विद्युत वाहनों पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत (ख) विद्युत वाहनों के लिए चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 542(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 9/2017-एकीकृत कर (दर) का संशोधन करना है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विद्युत बसों को किराए पर लेने पर शून्य आईजीएसटी प्रदान किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 710(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी आईजीएसटी दर निर्दिष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 713(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 2/2017–एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि शुष्क इमली तथा पत्तों से बने कपों, प्लेटों, पौधों की छाल और फूलों को छूट दी जी सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 716(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 3/2017–एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि एचईएलपी/ओएएलपी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अन्य परिवर्तनों के लिए रियायती आईजीएसटी दरें प्रदान की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 719(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2018 की अधिसूचना सं॰ 27/2018–एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को चांदी और प्लेटिनम की आपूर्तियों पर आईजीएसटी में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 723(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 730(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 8/2017–एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न सेवाओं की जीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 733(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 9/2017–एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 736(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 10/2017–एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कतिपय सेवाओं को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्यााख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 739(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों के प्रदाय से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनियता पर स्पष्टीकरण शामिल करते हुए 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ 04/2018–एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 742(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि का संशोधन करके 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं॰ 07/2019– एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 745(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के साथ पठित आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 (झ) के अनुसार एल्कॉहलिक लिकर लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 748(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद् की 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार भेषजिक क्षेत्र से संबंधित आरएण्डडी सेवाओं के प्रदाय के स्थान को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3071(अ) जो 26 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्ररूप जीएसटीआर–9, जीएसटीआर–9क और जीएसटीआर –9ग में वार्षिक विवरणी/समाधान विवरण दाखिल

करने के लिए देय तारीख को 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाकर वार्षिक विवरणियों को दाखिल करने के बारे में कठिनाइयों को हटाना है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रामप्रीत मंडल ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित क्रेडिट संयोजित पूंजीगत राजसहायता योजना के संबंध में समिति के 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 295वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों के व्यवसायीकरण के संबंध में समिति के 290वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 296वां प्रतिवेदन।

5. केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण कामगार परामर्शी समिति के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण कामगार परामर्शी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,* 2019

(दो) *अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक,* 2019

(तीन) *पोत पुनर्चक्रण विधेयक,* 2019

(चार) *विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक,* 2019

अपराह्न 2.08 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे ने महाराष्ट्र के रावेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री गोपाल शेट्टी ने महान क्रान्तिकारी और समाज सुधारक वीर सावरकर को भारत रत्न पुस्कार से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अजय मिश्र टेनी ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने देश में विशेषकर मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती केशरी देवी पटेल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संकाय गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति किए जाने और विश्वविद्यालय का नाम बदलकर प्रयागराज विश्वविद्यालय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ निशिकांत दुबे ने संथाल परगना क्षेत्र के आदिम जनजातियों की स्थिति के बारे में।

(7) डॉ॰ सुकान्त मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक सैनिक विद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।

(8) श्री निहाल चन्द चौहान ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जगदम्बिका पाल ने भगवान बुद्ध के ''अस्थि कलश'' को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ ढालसिंह बिसेन ने मध्य प्रदेश में विशेषकर बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एच॰ वसंतकुमार ने कन्याकुमारी अभयारण्य के आस-पास की भूमि को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।

(12) श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰ ने तमिलनाडु में होंगेनक्कल पेयजल योजना के लिए निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) प्रो॰ सौगत राय ने सीपीएसई में हिस्सेदारी की बिक्री किए जाने के बारे में।

(14) श्री भर्तृहरि महताब ने भूमिगत लचीले और स्थिर विद्युत पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के निर्माण हेतु ओडिशा को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में।

(15) श्री मलूक नागर ने देश में नदियों को आपस में जोड़े जाने के बारे में।

अपराह्न 2.08 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 26 नवंबर, 2019 के अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3719LS(S3)—25.11.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 26 नवंबर, 2019/5 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 44

अपराह्न 2.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने संविधान दिवस के बारे में टिप्पणी* की।

2. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 9वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 2.05 बजे

3. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019

(दो) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रें का विलयन) विधेयक, 2019

अपराह्न 2.12 बजे

4. नियम 377 के अधीन मामले

1. डॉ॰ जय शिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर

---

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

विश्वविद्यालय, सोलापुर, महाराष्ट्र में स्विमिंगपूल और बहुउद्देश्यीय सभागार के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

2. श्री चुन्नी लाल साहू ने प्रवासी कामगारों के पंजीकरण के बारे में मामला उठाया।

3. श्रीमती गोमती साय ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

4. डॉ॰ भारती धीरूभाई श्याल ने गुजरात में भावनगर-सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

5. श्री विनोद कुमार सोनकर ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बीड़ी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

6. प्रो॰ राम शंकर कठेरिया ने उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण के लिए शेष निधियां जारी करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

7. श्री विष्णु दत्त शर्मा ने मध्य प्रदेश में खजुराहो-सिंगरौली रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

8. श्रीमती रीती पाठक ने मध्य प्रदेश के दुबरी संजय टाइगर रिजर्व के विकास के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

9. श्री रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

10. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

11. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे ने महाराष्ट्र में नई रेल लाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

12. श्री संगम लाल गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आंवला को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

13. श्री मनोज कोटक ने महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर-पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भांडुप पंपिंग स्टेशन के निकट बर्ड वाचिंग पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

14. श्री तापिर गाव ने तवांग और भूटान के बीच एक सड़क खोलने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

15. डॉ॰ जयंत कुमार राय ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से धूपगुड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर नियमित ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

16. श्री टी॰ एन॰ प्रथापन ने केवला कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

17. श्री के॰ मुरलीधरन ने पुदुप्पनम-कोटक्काडावु रेलवे गेट पर उपरिगामी पुल का निर्माण किए जाने के बारे में मामला उठाया।

18. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ओडिशा के रायगड़ा और कोरापुट जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में मामला उठाया।

19. श्री टी॰ आर॰ पारिवेन्धर ने 17 जनवरी को तिरूवल्लुवर के जन्मदिन को राष्ट्रीय तिरूवल्लुवर दिवस के रूप में मनाए जाने के बारे में मामला उठाया।

20. श्री डी॰ रविकुमार ने राष्ट्रीय रजोनिवृत्ति नीति बनाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

21. श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

22. श्री मारगनी भरत ने नवरत्नालु योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में मामला उठाया।

23. श्री कृपाल बालाजी तुमाने ने महाराष्ट्र में नागपुर-नागभिड ब्रॉड गेज परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

24. डॉ॰ आलोक कुमार सुमन ने बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

25. श्री महेश साहू ने कोल इंडिया लिमिटेड में पेंशन की समीक्षा के बारे में मामला उठाया।

26. श्री के॰ राम मोहन नायडू ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक के बारे में मामला उठाया।

27. श्री नव कुमार सरनीया ने एन॰डी॰एफ॰बी॰ और भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बारे में मामला उठाया।

28. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम ने गुजरात के जामनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.01 बजे

5. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019*, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 2 घंटे 26 मिनट

श्री सोम प्रकाश द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती किरण खेर
2. डॉ॰ कलानिधि वीरास्वामी
3. श्री हिबी ईडन
4. श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी)
5. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
6. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
7. श्री जयदेव गल्ला
8. श्री रितेश पाण्डेय
9. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
10. एडवोकेट अब्दुल माजिद आरिफ
11. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
12. श्री पल्लब लोचन दास
13. डॉ॰ शशि थरूर
14. श्री अनुभव मोहंती
15. श्रीमती माला राय

16. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
17. श्री हनुमान बेनीवाल
18. श्री मलूक नागर
19. श्री एच॰ वसंतकुमार
20. श्री रामप्रीत मंडल
21. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री सोम प्रकाश ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 स्वीकृत हुआ।

खंड 33 स्वीकृत हुआ।

प्रो॰ सौगत राय द्वारा खंड 34 के संबंध में पेश किए गए संशोधन सं॰ 11 पर सभा में मत—विभाजन हुआ और मत—विभाजन का परिणाम यह रहा: पक्ष में 27, विपक्ष में 100। तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 34 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सोम प्रकाश द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

अपराह्न 5.27 बजे

#6. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

लिया गया समय: 3 घंटे 12 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 सितंबर, 2019 को प्रख्यापित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।''

#7. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019

डॉ॰ हर्षवर्धन ने विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

श्री अधीर रंजन चौधरी सांविधिक संकल्प और विधेयक पर बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वरुण फिरोज गांधी
2. श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एस॰
3. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
4. श्री मारगनी भरत
5. श्री महाबली सिंह
6. श्री रितेश पाण्डेय
7. प्रो॰ सौगत राय
8. श्री एम॰ के॰ विष्णु प्रसाद
9. श्री रवि किशन
10. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
11. श्री हनुमान बेनीवाल

#एक साथ चर्चा की गई।

12. श्री के॰ नवासखनी
13. डॉ॰ महेन्द्रभाई कालूभाई मुंजपरा
14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
15. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
16. श्री जगदम्बिका पाल
17. श्री जसबीर सिंह गिल
18. श्री एम॰ सेल्वराज
19. श्री जनार्दन मिश्र
20. श्री मलूक नागर
21. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.39 बजे

(लोक सभा बुधवार, 27 नवंबर, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3738LS(S3)—26-11-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 27 नवंबर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 45

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121—123, 125, 127, 128, 130—133 और 135—138 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 124, 126, 129, 134, 139 और 140 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 124 और 140 पूछे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन [खंड I और खंड II (भाग 1, 2 और 3)], लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) संशोधन नियम, 2019 जो 27 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 695(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 697(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के माध्यम से पूर्वेषण अथवा खनन प्रचालनों के लिए खनिज लौह अयस्क हेतु बेलाडिला रिजर्व फॉरेस्ट, डिपोजिट संख्या 4, जिला दक्षिण, बस्तर, छत्तीसगढ़ में 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित किया गया है।

(तीन) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2019 जो 13 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा॰का॰नि॰ 675(अ) जो 20 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धातु कार्मिक ग्रेड बॉक्साइट के औसत विक्रय मूल्य के परिकलन के लिए संपरिवर्तन कारक अधिसूचित किया गया है।

(पांच) खनिज (आणविक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2019 जो 20 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 674(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अपतटीय क्षेत्र खनिज रियायत (संशोधन नियम) 2019, जो 23 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 595(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री; रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(एक) सेना अधिकारी वेतन (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 01(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायु सेना अधिकारी वेतन (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 02(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नौ सेना अधिकारी वेतन (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 03(अ) में प्रकाशित हुए थे।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ॰ जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) भारत संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) अंतरसंयोजन करार सेवाएं पंजिका और ऐसे अन्य मामले विनियम पंजिका 2019 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 6-1/2016-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 15-01/2019-एफ एण्ड ईए में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2019 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 116-4/2019-एनएसएल-दो में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के सेवा मानक और उपभोक्ता संरक्षण (समाधानयोग्य प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 12-37/2019-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतरसंयोजन (समाधानयोग्य प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 21-6/2019-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आधारभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा) के सेवा गुणवत्ता मानक (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 301-02/2018-क्यूओएस (विविध) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अधिसूचना सं॰ 116-6/2018-एनएसएल-दो/(खंड तीन) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबसप्पा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 01 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 546(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 16 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 575(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं॰ (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 19 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) समर्पित माल गलियारा रेल सामान्य नियम (संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 06 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 822(अ) में प्रकाशित हुए थे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ महेश शर्मा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 के बारे में 115वां प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 के बारे में 116वां प्रतिवेदन।

5. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा 26 नवम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

6. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

[@] *जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक,* 2019

प्रो॰ सौगत राय ने विधेयक वापस लिए जाने का विरोध किया।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने इसपर [&]विनिर्णय दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को पीएसएलवी-सी47 से कार्टोसेट-3 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी।

[%]अपराह्न 12.10 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री सुरेश कोडिकुन्नील ने कश्मीर में हाल में हुए आतंकी हमलों के बारे में निवेदन किया।

*श्री राजनाथ सिंह ने इसका उत्तर दिया।

अपराह्न 12.29 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ सुभाष सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 को 4 लेन वाली सड़क में बदलने के बारे में।

@ विधेयक, राज्य सभा द्वारा 5 अगस्त, 2005 को यथापारित, लोक सभा के पटल पर उसी दिन रखा गया। प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को 6 अगस्त, 2019 को लोक सभा में पेश किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा से विधेयक वापस लिए जाने की अनुमति का अनुरोध किया जाएगा, जिस पर सभा सहमत हुई। राज्य सभा 7 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध कि राज्य सभा द्वारा लोक सभा में विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए से सहमत हुई।

& मूल हिन्दी में, विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

% अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.28 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*रक्षा मंत्री।

(2) श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा कर्नाटक के रायचूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न हो रही पर्यावरण समस्या के बारे में।

(3) श्री विनोद चावड़ा द्वारा भुज हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में उन्नयन करने और भुज और मुंबई के बीच एअर इंडिया की प्रतिदिन उड़ान परिचालित करने तथा भुज और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एल॰एस॰ तेजस्वी सूर्या द्वारा मधुमेह से पीड़ित रोगियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में।

(5) श्री जी॰एस॰ बसवराज द्वारा मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गोंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पौराणिक महत्व के स्थल ''श्रवण पाकर'' को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा ''परिवार रजिस्टर'' की प्रति जारी किए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा जिले में आकशवाणी के एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद शहर में पैरा मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जुएल ओराम द्वारा ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 के रिमूलू से राजामुंडा खंड का कार्य पूरा किए जाने के बारे में।

(11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बांध के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार में ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थलों को विकसित किए जाने और उन्हें स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा भवनों में सौर ऊर्जा और जल संचयन प्रणाली स्थापित किए जाने के बारे में।

(14) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा देश में जनजातीय लोगों के बीच कुपोषण के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियों के बारे में।

(16) श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा बारास्ता मेघालय भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार मार्ग के बारे में।

(17) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के ओंगोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या के बारे में।

(19) श्री रंगैय्या तालारी द्वारा उचित और त्वरित गति से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने हेतु आवश्यक कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12553/12554) और बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22913/22914) का ठहराव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद-मीरजापुर सड़क पर उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री पोथुगन्ती रामुलु द्वारा तेलंगाना के नगरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने के बारे में।

(24) एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ द्वारा हाल के वर्षों में बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने तथा बुनियादी ढांचे के पुनर्निमाण हेतु केरल को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों के बारे में।

(26) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्थित भारी उद्योगों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यश्कता के बारे में।

अपराह्न 12.30 बजे

#10. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत हुआ

लिया गया समय : 5 घंटे 03 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा 26 नवम्बर, 2019 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 सितम्बर, 2019 को प्रख्यापित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।''

संयुक्त चर्चा के उपरांत, संकल्प मतदान के लिए रखा गया और वह अस्वीकृत हुआ।

#11. सरकारी विधेयक—पारित

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 से 18 स्वीकृत हुए।

#एक साथ चर्चा की गई।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.21 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 2 घंटे 51 मिनट

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
3. श्री ए॰ राजा
4. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
5. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
6. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह
7. श्री पी॰आर॰ नटराजन
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
10. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
11. श्री हनुमान बेनीवाल
12. श्री राजीव प्रताप रूडी
13. श्री गौरव गोगोई

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.12 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 52 मिनट

श्री जी॰ किशन रेड्डी ने श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर
2. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल
3. श्री मणिक्कम टैगोर बी॰
4. श्री फैजल पी॰पी॰ मोहम्मद
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्री नाल्लाकोंडा गरी रेड़्डप्प

श्री जी॰ किशन रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 से 11 स्वीकृत हुए।

खंड 12 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

#सांय 7.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

#अपराह्न 6.04 बजे से अपराह्न 7.03 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—3807LS(S3)—27-11-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019/7 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 46

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य डा॰ आर॰ के॰ जी॰ राजुलु, सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री रामनाथ दुबे, सोलहवीं लोक सभा के सदस्य डा॰ बंशीलाल महतो, और चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री कैलाश जोशी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर तथाकथित अशोभनीय टिप्पणी के बारे में निवेदन किया।

*श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141, 142 और 144-147 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य जिसके नाम पर तारांकित प्रश्न 143 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 143 पर सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

*रक्षा मंत्री।

अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) चण्डीगढ़ वक्फ बोर्ड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चण्डीगढ़ वक्फ बोर्ड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) एसजेवीएन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन निधि न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन निधि न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं० आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2019/एक जो दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रशासनिक तथा शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा०का०नि० 700(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 759(अ), जो 04 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 818(अ), जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 628(अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतिकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 629(अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 630 (अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 631(अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोरमुगाओ पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰ के॰ सिंह ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 3108(अ) जो 28 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 3109(अ) जो 28 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3867(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 3203(अ) जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 3725(अ) जो 17 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग संख्या 703कक को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 3959(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 3960(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 911 के खंडों को राजस्थान राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का॰आ॰ 3961(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 3965(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 753ग के खंडों को महाराष्ट्र राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(नौ) का॰आ॰ 3961(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मोटर यान (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें) आदेश 2018 जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 6052(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 6108(अ) जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) केन्द्रीय मोटरयान (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1151(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटरयान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1162(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटरयान (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1192(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटरयान (अट्ठारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 20 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) मोटरयान (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें) संशोधन आदेश, 2018 जो 25 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1018(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) केन्द्रीय मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 174(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 173(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1215(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 443(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 246(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) केन्द्रीय मोटरयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 जो 21 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) केन्द्रीय मोटरयान (छठा संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) केन्द्रीय मोटरयान (सातवां संशोधन) नियम, 2019 जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 547(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) का॰आ॰ 3110(अ) जो 28 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस दिन से उसमें उल्लिखित मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(सत्रह) का॰आ॰ 3147(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस दिन से मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 प्रवृत्त होगी।

(अट्ठारह) केन्द्रीय मोटरयान (आठवां संशोधन) नियम, 2019 जो 23 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 681 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) केन्द्रीय मोटरयान (नौवां संशोधन) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 807 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) केन्द्रीय मोटरयान (दसवां संशोधन) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 808 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) केन्द्रीय मोटरयान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 806 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी 26 नवम्बर, 2019 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रवनीत सिंह ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों-पहला बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.12 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

औद्योगिक संबंध संहिता, 2019

(लोक सभा अपराह्न 1.05 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.03 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.03 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

(1) सुश्री दिया कुमारी द्वारा मार्बल पर अत्यधिक जीएसटी दर के बारे में।

(2) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की स्थिति के बारे में।

(3) श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा असम के करीमगंज जिले में सोन बील झील को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने तथा इस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री उन्मेश बी॰ पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चार लेन वाली सड़कें बनाने में विलंब के बारे में।

---

*अपराह्न 12.17 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) डॉ॰ भारतीय प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र के दिन्डोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी पात्र किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाने के बारे में।

(7) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीणों के गांव की जमीन को भू-अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के कारण उनके समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री छतर सिंह दरबार द्वारा धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती रमा देवी द्वारा खुदरा औषधि दुकान चलाने वाले दुकानदारों के लिए एक अल्पकालिक फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री देवुसिंह जेसिंहभाई चौहान द्वारा गुजरात के खेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाइन को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भेजे जाने के बारे में।

(14) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों के बारे में।

(15) श्री जॉन बर्ला द्वारा पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में काम करने वाले कामगारों की भविष्य निधि के बारे में।

(16) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा अजमेर में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीआरजीबी) के मंडल कार्यालय की स्थापना तथा जोधपुर स्थित सीआरजीबी के मंडल कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक में नारियल बोर्ड के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री सी॰एन॰ अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान जल संबंधी समस्याओं के बारे में।

(19) डॉ॰ बी॰वी॰ सत्यवती द्वारा आंध्र प्रदेश की उत्तरांधरा सुजला स्रवंति सिंचाई परियोजना के बारे में।

(20) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज का गाद निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के केस्टोरमपुर में दामोदर नदी पर बांध बनाए जाने के बारे में।

(22) श्री के॰ सुब्बारायण द्वारा तमिलनाडु में तिरुपुर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से एक अतिरिक्त बैच शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 4 घंटे 25 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. श्री थिरू दयानिधि मारन
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरु
6. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
7. कुंवर दानिश अली
8. श्री डी॰के॰ सुरेश
9. श्री मनोज तिवारी

10. श्री हसनैन मसूदी
11. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
12. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
13. श्री एम॰ सेल्वराज
14. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
15. श्री हनुमान बेनीवाल
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह
17. श्री भगवंत मान
18. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
19. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री हरदीप सिंह पुरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन, सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

#सायं 7.14 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

अपराह्न 6.30 बजे से अपराह्न 7.14 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—3852LS(S3)—28.11.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2019/8 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 47

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161, 162, 163—167, 171, 173 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न 168 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 168 पर सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 169, 170, 172 और 174—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

महिला और बाल विकास मंत्री; वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञाान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञाान मंत्री (डॉ॰ हर्ष वर्धन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राजीव गाँधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेन्टर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेन्टर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंटर फॉर इन्नोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर इन्नोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में वितरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) बायोटैक्नोलॉजी इन्डस्ट्री रिसर्च एसिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बायोटेक्नोलॉजी इन्डस्ट्री रिसर्च एसिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपेथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी (स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम)एम॰ डी॰ (होम॰) द्वितीय संशोधन विनियम, 2019, जो दिनांक 2 अगस्त, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 12-11/2010-सीसीएच (भाग-दो)(1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञाान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञाान मंत्री (डॉ॰ हर्ष वर्धन) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सांख्यिकी विभाग, बडौदा महाराजा श्याजीराव विश्वविद्यालय), वडोदरा।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र), चण्डीगढ़।

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जेएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च), धारवाड।

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी।

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय), पटना।

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान), पुणे।

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला।

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर।

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम।

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापट्टनम।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 28 नवम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्रीमती हिमाद्री सिंह	17.06.2019 से 26.07.2019
(2) श्री दीपक अधिकारी (देव)	20.06.2019 से 13.07.2019
(3) श्री अतुल कुमार सिंह *उर्फ* अतुल राय	17.06.2019 से 06.08.2019
	और
	18.11.2019 से 25.11.2019
(4) श्री जयंत सिन्हा	22.11.2019 से 13.12.2019
(5) श्री बिद्युत बरन महतो	25.11.2019 से 13.12.2019

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 2 दिसम्बर, 2019 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

8. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की शासी परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 1 (चौबीस) और 15(दो) तथा विनियमों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की शासी परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019

#अपराह्न 12.13 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

एक संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रपिता के हत्यारे का महिमामंडन करने वाली टिप्पणियों के मुद्दे को अनेक सदस्यों द्वारा उठाए जाने के पश्चात् %श्री प्रह्लाद जोशी ने उत्तर दिया।

अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी* की।

$तत्पश्चात्, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खेद व्यक्त किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.05 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.33 *बजे पुन: समवेत हुई)*

**अपराह्न 2.36 बजे

11. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 16.30 बजे लिए जा सकते हैं, उससे पहले अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जा सकते हैं।

अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

% संसदीय कार्य मंत्री।

* अपराह्न 12.23 बजे मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

$ अपराह्न 2.55 बजे।

** अपराह्न 2.33 बजे से अपराह्न 2.36 बजे तथा अपराह्न 2.57 बजे से अपराह्न 4.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी पर निवेदन किया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
5. श्री विनोद कुमार सोनकर
6. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह
7. डॉ॰ संजय जायसवाल
8. श्री हनुमान बेनीवाल
9. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
10. श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू
11. श्री श्याम सिंह यादव
12. श्री अनुभव मोहंती
13. श्री गौरव गोगोई
14. डॉ॰ सत्यपाल सिंह

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाने का समय 1600 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

अपराह्न 4.35 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा 21 जून, 2019 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा:—

''यह सभा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं, जो आमतौर पर ''अन्न प्रथा'' के नाम से जानी जाती है, और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सरकार से आग्रह करती है कि वह क्षेत्र में जल संकट की समस्या और अन्य प्रथा की परंपरा को समाप्त

करने के लिए बांधों और तालाबों के अंतर्संयोजन तथा पुनर्भरण के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने के लिए कदम उठाए।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दुष्यंत सिंह
2. श्री पी॰पी॰ चौधरी
3. श्री भागीरथ चौधरी
4. श्री गुमान सिंह दामोर
5. श्री जनार्दन मिश्र
6. श्री रितेश पाण्डये
7. श्री हनुमान बेनीवाल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3894LS(S3)—29-11-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 48

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—188 और 190 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न 189 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 189 के बारे में सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 191—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) भारत पेट्रोरिसोर्सिज लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोरिसोर्सिज लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (एक्सेस कोड फॉर कॉमन कैरियर या कान्ट्रैक्ट कैरियर नेचुरल गैस पाइपलाइन) संशोधन विनियम, 2019 जो

21 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/31(खंड-तीन) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3962(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा निरसित किए जाने से पूर्व यथाविद्यमान तत्कालीन जम्मू और कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल तथा दस से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं पर 1 जनवरी, 2020 से लागू करने के लिए विस्तारित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन, पुरी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुदुच्चेरी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुदुच्चेरी के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक') ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंदिरा गाँधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गाँधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलबुर्गी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलबुर्गी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2015-16 से 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2015-16 से 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), कवरती के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), कवरती के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (सर्व शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (सर्व शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वार समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) मध्य प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजॉल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजॉल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) तेलंगाना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेलंगाना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजॉल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजॉल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का ईक्विटी शेयरहोल्डर्स को स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.06.2019 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का ईक्विटी शेयरहोल्डर्स को स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.06.2019 को समाप्त हुई तिमाही के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का ईक्विटी शेयरहोल्डर्स को स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के

30.09.2019 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का ईक्विटी शेयरहोल्डर्स को स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.09.2019 को समाप्त हुई तिमाही के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंटर फॉर डेवलेपमेंट इकनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स - दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलेपमेंट इकनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स - दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 27 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 104/39/लेखा॰ 1.इंट्रोडक्शन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) लागत और संकर्म अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 26 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 28 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 1-सीए(5)/70/2019 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 30 सिंतबर, 2019 की अधिसूचना सं॰ 1-सीए(5)/70/2019 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र 11 नवंबर, 2019 की अधिसूचना सं॰ 1-सीए(5)70क/2019 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा॰का॰नि॰ 699(अ) जो 30 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 23 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 682(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (रेल) (2019 की प्रतिवेदन सं॰ 10)- रेल वित्त के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत बाहर निकलना और निकासी) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत बाहर निकालना और निकासी) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019 जो 19 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (ट्रस्टी बैंक) (पहला संशोधन) विनियम, 2019 जो 19 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/6 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्वाइंट ऑफ प्रजेंस) विनियम, 2018 जो 25 जून 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट) (पहला संशोधन) विनियम, 2019 जो 29 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 में प्रकाशित हुए थे।

(16) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच करने के लिए प्रक्रिया और न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा शास्ति लगाना) संशोधन नियम, 2019 जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 210(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2019/26 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/23 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 19 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/33 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 17 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/32 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों का सूचीकरण और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/22 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों का सूचीकरण और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2019 जो 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/29 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2019/34 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 सितंबर, 2019

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/35 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2019/37 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगर पालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/40 में प्रकाशित हुए थे।

(17) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निक्षेपागार (जांच करने के लिए प्रक्रिया और न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा शास्ति लगाना) संशोधन नियम, 2019 जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 211(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियम) (जांच करने के लिए प्रक्रिया और न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा शास्ति लगाना) जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 212(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1314(अ) जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अधीन अध्याय आठ के भाग छह, भाग दस और भाग ग्यारह के उपबंधों को 8 मार्च, 2019 की तिथि के रूप में नियुक्त किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2019 जो 16 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 790(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो 20 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 582(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) चौथा संशोधन नियम, 2019 जो 18 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 669(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) पांचवां संशोधन नियम, 2019 जो 13 नवंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 840(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अधीन स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ दूसरा (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 525(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत आवर्ती निक्षेप (संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय लेखा) संशोधन नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 503(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 504(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा॰का॰नि॰ 506(अ) जिसमें 1 जुलाई, 2019 को या इसके बाद लोक भविष्य निधि में किए गए अंशदान तथा अभिदाता के क्रेडिट में शेष पर प्रतिवर्ष 7.9 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा, को अधिसूचित किया गया था।

(सात) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दिनांक 20 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 45/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 2067(अ), जो 25 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2219(अ), जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) दिनांक 4 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं॰ 48/2019- सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधन दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 2450(अ), जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 2521(अ), जो 15 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) दिनांक 18 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं॰ 52/2019– सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधन दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 2750(अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) दिनांक 1 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं॰ 55/2019– सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधन दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) दिनांक 5 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं॰ 56/2019– सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधन दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2872(अ), जो 8 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) दिनांक 13 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं॰ 59/2019– सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) दिनांक 14 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं॰ 60/2019– सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 2946(अ), जो 14 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 3148(अ), जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) दिनांक 5 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं॰ 63/2019–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 3271(अ), जो 13 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) दिनांक 19 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं॰ 66/2019–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3549(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) दिनांक 3 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना सं॰ 72/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का॰आ॰ 3716(अ), जो 15 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) दिनांक 17 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं॰ 76/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का॰आ॰ 3958(अ), जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) दिनांक 7 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना सं॰ 81/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित तथा निर्यात वस्तुओं के आकलन के प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या विपरीत परिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का॰आ॰ 4131(अ), जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी तथा सुपारी पर टैरिफ मूल्यों के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 545(अ) जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी में प्रकाशित सी कार्गो मेनिफेस्ट एण्ड ट्रांसशिपमेंट (संशोधन) विनियम, 2019, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ ॰ 566(अ) जो 8 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं॰ 12/97-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 654(अ) जो 13 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 2 अप्रैल , 1997 के अधिसूचना सं॰ 12/97-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 763(अ) जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी में प्रकाशित कोरियर इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (क्लीरेंस) द्वितीय संशोधन विनियम, 2019,तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 764(अ) जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी में प्रकाशित कोरियर इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (इलेक्ट्रोनिक डिक्लेरेशन एण्ड प्रसेसिंग) द्वितीय संशोधन विनियम, 2019,तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 819(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी में प्रकाशित सी कार्गो मेनिफेस्ट एण्ड ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019,तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सं॰ सा॰का॰नि॰ 1092(अ) जो 25 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं॰ 128/2004-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सं॰ सा॰का॰नि॰ 624(अ) जो 2 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं॰ 57/2000-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (बत्तीस) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3743(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई और जो प्रतिभूति संविदाएं (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न के रूप में अधोशाही वस्तुओं की बिक्री या खरीद के अधिकार की बिक्री या खरीद के लिए अथवा भविष्य में ऐसी खरीद तथा बिक्री के अधिकार के लिए संविदा को यथा अधिसूचित घोषित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) वित्त अधिनियम, 2019 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 588(अ) जो 21 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी में प्रकाशित सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 851(अ) जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत दिनांक 6 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं॰ 95/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा॰का॰नि॰ 846(अ), जो 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 27/2019-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 847 (अ), जो 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 28/2019-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 848 (अ), जो 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 29/2019-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 849 (अ), जो 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 26/2019-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 845 (अ), जो 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, में प्रकाशित केन्द्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2019।

(छह) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4105 (अ), जो 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, में प्रकाशित केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2019।

(30) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 तथा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 781 (अ), जो 14 अक्तूबर 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय संघ राज्यक्षेत्रों (विधायिका रहित) में उन्नत निर्णय हेतु प्राधिकरण के गठन में संशोधन को अधिसूचित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(31) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 505 (अ), जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 के अंतर्गत 1 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् निधि में किए गए अंशदान और अंशदाताओं के क्रेडिट में शेष पर ब्याज की दर 8.4 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिसूचित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) शेयर बाजार घोटाले और संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में 33वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 264वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य रखा।

#अपराह्न 12.07 बजे

5. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने लड़कियों के सामूहिक बलात्कार और क्रूर हत्याओं की वर्तमान घटनाओं के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री उत्तम कुमार नालमंदा रेड्डी
2. श्री टी॰आर॰ बालू

#अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री संजय कुमार बंदी
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्रीमती कविता मलोथू
8. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
9. सुश्री एस॰ जोतिमणि
10. श्री विनायक भाऊराव राऊत
11. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
12. कुँवर दानिश अली
13. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
14. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू

*15. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी

*16. श्रीमती जसकौर मीना

श्री मलूक नागर, श्री अजय मिश्र टेनी, श्री मणिक्कम टैगोर, श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, श्री कमलेश पासवान और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल तथा श्री सुधीर गुप्ता सहयोजित हुए।

@श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया

%श्री जी॰ किशन रेड्डी ने भी उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत हुई)

&अपराह्न 2.21 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य

---

*उन्होंने रक्षा मंत्री के उत्तर के पश्चात् निवेदन किया।

@रक्षा मंत्री

%गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

&अपराह्न 2.21 बजे से अपराह्न 2.31 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री तापिर गाव द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में भू सीमा शुल्क केन्द्र को चालू किए जाने के बारे में।

(2) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मवेशी अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहटा–औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भगीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर में किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्थित पैदल उपरि पुल में स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी पात्र किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री छतर सिंह दरबार द्वारा ब्रिटेन से 'वाग्देवी' की प्राचीन प्रतिमा वापस लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई श्याल द्वारा भावनगर से मुंबई के लिए सुबह में उड़ान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कौशल किशोर द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में 'पासी' अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मोहन मण्डावी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करके किए जा रहे लौह अयस्क के खनन के बारे में।

(11) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण बिहार में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान ढूंढ़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा देश में विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री हिबी इडन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के बार में।

(14) श्री एच॰ वसंतकुमार द्वारा तमिलनाडु में नारियल में लगने वाली रूट-विल्ट नामक बीमारी की वजह से प्रभावित होने वाले नारियल किसानों के बारे में।

(15) श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा केरल के अलप्पूझा जिले में के सी ब्रिज का पुन: निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एस॰ जगतरक्षकन द्वारा प्रत्येक गांव में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में।

(17) श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल में बागनान से पुरसुरा तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ बी॰वी॰ सत्यावती द्वारा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के बारे में।

(19) श्री विनायक राऊत द्वारा महाराष्ट्र में प्रसाद योजना के अंतर्गत सिंधुदुर्ग सर्किट पर चल रहे कार्य की प्रगति के बारे में।

(20) श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जमालपुर डीजल शेड को बंद किए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में मोबाइल संपर्क में सुधार किए जाने के बारे में।

(22) श्री मलूक नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा तेलंगाना के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान के अत्यधिक उत्पादन होने के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

(24) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा मुंबई की डोम्बीवली लोकल ट्रेन में अत्यधिक भीड़ के बारे में।

(25) श्री शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.32 बजे

#7. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 4 घंटे 54 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 सितम्बर, 2019 को प्रख्यापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 15) का निरनुमोदन करती है।''

संयुक्त चर्चा के बाद, संकल्प पर मतदान हुआ और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

#8. सरकारी विधेयक—पारित

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने सांविधिक संकल्प और विधेयक पर अपने विचार रखे।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ निशिकांत दुबे
2. श्री ए॰ राजा
3. सुश्री महुआ मोइत्रा
4. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
5. श्री अरविन्द गणपत सावंत
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री गिरीश चन्द्र
9. डॉ॰ गद्दाम रंजीत रेड्डी
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्री जयदेव गल्ला
12. श्री अजय मिश्र टेनी

#चर्चा एक साथ की गई।

13. श्री गौरव गोगोई
14. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
15. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
16. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
17. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
18. श्री असादुद्दीन ओवैसी
19. श्री के॰ सुब्बारायण
20. श्री थोमस चाज़िकाडन
21. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
22. श्री बैन्नी बेहनन
23. श्री तिरू दयानिधि मारन

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

%9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

&रात्रि 8.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

%अपराह्न 4.45 बजे।

&सायं 7.26 बजे से रात्रि 8.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—3981LS(S3)—02.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2019/12 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 49

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—206 और 207 (219 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 208—218 तथा 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2630 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विदेशी विषयक (अधिकरण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 2 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 623(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2019, जो 16 सितम्बर, 2019 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 659(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हाजीपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हाजीपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स् मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटाकमंड के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटाकमंड का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, के वर्ष 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, के वर्ष 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिहबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिहबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गनाइजेशन, विशाखापट्टनम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गनाइजेशन, विशाखापट्टनम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टिट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टिट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइन्सेस, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइन्सेस, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) देवनार फाउन्डेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2012-2013, 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) देवनार फाउन्डेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2012-2013, 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) वेलुगू, मदनापल्ले के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगू, मदनापल्ले के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सिरी इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, सामलकोट के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिरी इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, सामलकोट के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) परिवर्तन, पश्चिम गोदावरी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिवर्तन, पश्चिम गोदावरी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) शांतिनिकेतन-रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिनिकेतन-रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) अनुराग ह्यूमन, सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अनुराग ह्यूमन, सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) सोसाइटी ऑफ क्रिस्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी ऑफ क्रिस्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड स्कूल, झारसूगुडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड स्कूल, झारसूगुडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) केएसजे हाई स्कूल, संभल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केएसजे हाई स्कूल, संभल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) सूर्य किरण पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रन मछेरला, गुंटूर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूर्य किरण पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रन मछेरला, गुंटूर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वायज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वायज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) स्पेसटिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पेसटिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) वूमेन्स कम्युनिटी मैनेजमेन्ट ग्रुप, खोरधा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूमेन्स कम्युनिटी मैनेजमेन्ट ग्रुप, खोरधा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) शांतिनिकेतन-रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिनिकेतन-रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली हैण्डीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (प्रतिकृतियों का अनुमोदन) (संशोधन) नियम, 2019, जो

6 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 823(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3443(अ), जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3193(अ) से का॰आ॰ 3196(अ), जो 4 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "मोलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जकी-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहीम कासकर" के नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची के क्रमांक क्रमश: 1, 2, 3 और 4 पर जोड़े गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आनंद विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 6 की उपधारा (4) के अंतर्गत चंडीगढ़ आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2018 जो चंडीगढ़ प्रशासन के दिनांक 25 जून, 2019 के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 526/एचआईआईआई(3)-2018/11264 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) अंतर्गत फर्टीलाइजर (इनआर्गेनिक, आर्गेनिक और मिक्सड कंट्रोल) अमेंडमेंट ऑर्डर, 2019, जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰3447 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 30 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 14 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 782(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियम) (सातवां संशोधन) आदेश 2019 जो 29 अगस्त, 2019 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3141(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियम) (आठवां संशोधन) आदेश 2019 जो 18 सितम्बर,, 2019 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3357(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियम) (नौवां संशोधन) आदेश 2019 जो 1 अक्तूबर, 2019 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3594(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियम) (दसवां संशोधन) आदेश 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3845(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियम) (ग्यारहवां संशोधन) आदेश 2019 जो 13 नवम्बर, 2019 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4083(अ) में प्रकाशित हुआ था।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 2019 जो 29 जून, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसचूना संख्या सा॰का॰नि॰ 186 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मेट्रन और असिस्टेन्ट मेट्रन, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 जो 13 जुलाई, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 198 में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स हवलदार (क्लर्क) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 जो 23 जून, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 185 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(एक) सफाई कर्मचारियों की दशा और उनकी दशा को सुधारने के लिए संस्तुतियां/प्रस्ताव से संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मार्च, 2012 के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) सफाई कर्मचारियों की दशा और उनकी दशा को सुधारने के लिए संस्तुतियां/प्रस्ताव से संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मार्च, 2012 के प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र सारंगी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमशीलता और प्रबंधन विधेयक, 2019' संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) का 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-एक निष्पादन समीक्षा' विषय के संबंध में 64वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' के संबंध में 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने 'भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव: एक समीक्षा' के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2019-20) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्राालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पीएमएवाई (जी), पूर्व में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (2015-16) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

8. प्रस्ताव

श्री प्रह्लाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 2 दिसम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.21 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) $श्री रवनीत सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या में शामिल कैदी के मृत्युदण्ड को कथित रूप से कम करते हुए उम्र कैद में बदले जाने के बारे में निवेदन किया।

%श्री अमित शाह ने उत्तर दिया।

(दो) श्री मोहन एस॰ देलकर ने दादरा और नागर हवेली की जनजातियों को पीडीएस के अंतर्गत खाद्य मदों की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री अरविन्द गणपत सावंत, श्री विनायक भाऊराव राउत, श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री कुलदीप राय शर्मा सहयोजित हुये।

#श्री जी॰ किशन रेड्डी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.35 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.32 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रमेशभाई एल॰ धडुक द्वारा गुजरात में राजकोट और पोरबन्दर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भादर नदी पर बने पुल की मरम्मत और पुनर्निर्माण किए जाने के बारे में।

(2) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राजस्थान के सीकर लोक सभा क्षेत्र में देशी नस्ल की गायों के लिए नस्ल सुधार एवं संरक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक वीसी फंड स्थापित किए जाने के बारे में।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

$पूर्वाह्न 11.24 बजे।

%गृह मंत्री।

#गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(4) श्री नितेश गंगा देब द्वारा संभलपुरी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किए जाने के बारे में।

(5) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-बरौनी और लखनऊ-गोरखपुर- वाराणसी रेल खंडों पर राजधानी एक्सप्रेस/वन्देभारत/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल द्वारा गुजरात में बहुचरा जी से पाटन रेल लाइन के अमान परिवर्तन के कार्य को अतिशीघ्रता से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि का आवंटन करके इस परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री विनोद चावड़ा द्वारा गुजरात में कच्छ से दिल्ली के लिए एक नई रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख लोक सभा क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर 'नानामऊ घाट' का सौन्दर्यीकरण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा किसानों के बैंक ऋण माफ करने और बिजली के बकाया बिलों की राशि का भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश में सीधी और सिंगरौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 के निर्माण कार्य में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा हरियाणा की "जल ही जीवन है" योजना का समर्थन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री दुर्गा दास उइके द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक किलों को पर्यटक स्थल के रूप में संरक्षित और विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा पंजाब में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा के जनजातीय नेता को भारत रत्न प्रदान किए जाने के बारे में।

(16) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा तेलंगाना में मूसी नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ टी॰ सुमति (ए॰) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनाओं के फेस-2 की डीपीआर को अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में।

(18) श्री के॰ रघु राम कृष्ण राजू द्वारा पोलावरम परियोजना हेतु निधियों के बारे में।

(19) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा एमटीएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री अनुभव मोहंती द्वारा अनेक उपकरों को लगाए जाने के बारे में।

(21) श्री पी॰आर॰ नटराजन द्वारा ईपीएस-95 स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन निर्धारित किए जाने के बारे में।

(22) श्री जयदेव गल्ला द्वारा निर्माण कार्य में लगे कामगारों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।

(23) श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर द्वारा दादरा नगर हवेली और दमन व दीव में सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.33 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019

लिया गया समय : 3 घंटे 53 मिनट

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव श्री मनसुख मांडविया द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हिबी ईडन
2. डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई श्याल
3. श्रीमती प्रतिमा मंडल
4. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे

5. श्री अच्युयतानंद सामंत

6. श्रीमती सुप्रिया सुले

7. श्री कौशलेन्द्र कुमार

8. श्री तालारी रंगैय्या

9. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी

10. कुंवर दानिश अली

11. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

12. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

13. श्री अरविंद गणपत सावंत

14. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी

15. डॉ॰ वी॰ कलानिधि

16. श्री मनोज किशोरभाई कोटक

17. श्री एस॰ वेंकटेशन

18. श्री किंजारापु राम मोहन नायडु

19. श्री हनुमान बेनीवाल

20. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

21. श्री जगदम्बिका पाल

22. श्री रितेश पाण्डेय

23. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

24. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री मनसुख मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 और 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 से 15 स्वीकृत हुए।

खण्ड 16 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 38 स्वीकृत हुए।

खण्ड 39 और 40 स्वीकृत हुए।

खण्ड 41 से 44 स्वीकृत हुए।

खण्ड 45 और 46 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

&सायं 7.33 बजे

(लोक सभा बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

&सायं 6.26 बजे से सायं 7.33 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

MGIPMRND—4027LS(S3)—03.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 50

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—227 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 228—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने भारत के विधि आयोग के प्रतिवेदन संख्या 277—सदोष अभियोजन (न्याय की हानि) विधिक उपचार—अगस्त, 2018 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सिंगरेनी कोलीयरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलीयरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवेली और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवेली और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हैल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हैल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) (एक) भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ॰ जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेमी - कंडक्टर लेबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 2019 जो 23 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 519(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019 जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3954(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ मुरलीधरन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) रिसर्च एंड इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) रिसर्च एंड इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 410(अ) जो 6 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जून, 2019 की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस तारीख को पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2, जहां तक यह मूल

अधिनियम, 1970 की धारा 71 को संशोधित करती है, लागू होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 2 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत लोक सभा अध्यक्ष के निदेश (निदेश 27 और 42) का संशोधन

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किए निदेशों में संशोधनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

डॉ॰ मनोज राजोरिया ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों 2018-19 विषयक 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में 52वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-अंतिम कार्रवाई विवरण।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 'असम गैस क्रैकर परियोजना' विषयक 49वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में 53वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-अंतिम कार्रवाई विवरण।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'भेषज क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में आधारभूत, प्रायोगिक तथा अन्य शोध का संवर्धन तथा समन्वय' विषयक 46वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में 55वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-अंतिम कार्रवाई विवरण।

7. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात पी॰एस॰यू॰ में सी॰एस॰आर॰ क्रियाकलाप' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) 'खान मंत्रालय के अंतर्गत' पी॰एस॰यू॰ में सी॰एस॰आर॰ क्रियाकलाप' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से वाणिजय विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ (आसियान) के साथ व्यापार' संबंधी समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.05 बजे

9. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने भारत के भू-भाग में चीन की कथित घुसपैठ के बारे में निवेदन किया।

$श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.04 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

$रक्षा मंत्री।

अपराह्न 2.05 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री राहुल गांधी ने नानजांगुड-वायनाड-नीलाम्बर रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि ने मातृत्व लाभ योजना को अधिक लाभार्थी-हितैषी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री रवि किशन ने यूपीएससी परीक्षाओं के लिए गोरखपुर को केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग को पुनरूद्धार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री देवु सिंह जेसिंगभाई चौहान ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वर ने कर्नाटक में दावनगेरे में दो नई भारतीय आरक्षी बटालियन (आईआरबी) स्थापित करने के बारे में मामला उठाया।

(7) प्रो॰ (डॉ॰) राम शंकर कठेरिया ने इटावा संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में बंद कपास मिल का पुनरूद्धार करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) डॉ॰ सुजय राधाकृष्णा विखे पाटील ने पुणे-अहमदनगर-जलगांव रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री रामचरण बोहरा ने देश में, विशेषत: राजस्थान में, 'विलायती बबूल' समाप्त करने के लिए कार्य-योजना तैयार करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने पर्ल समूह कंपनी, पीएसीएल लिमिटेड में निवेश करने वाले लोगों का धन वापस किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री राजू बिस्ता ने सिलीगुड़ी में बहु-विशिष्ट अस्पताल निर्मित करने के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने रेल संपदा के समीप निवास करने वाले परिवारों की बेदखली के बारे में मामला उठाया।

(13) डॉ॰ सुभाष सरकार ने पश्चिम बंगाल में मुंहपका-खुरपका (एफएमडी) रोग के लिए टीकाकरण के बारे में मामला उठाया।

(14) डॉ॰ निशिकान्त दुबे ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र, झारखंड में लंबित परियोजनाओं के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री जॉन बर्ला ने अलीपुरद्वारस संसदीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में जयगांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री राजेश वर्मा ने नई दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24 की मरम्मत किए जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर भी निर्मित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में 'नागरिक सुरक्षा कॉर्प्स' के प्रतिपाल्यों को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री अब्दुल सालेक ने असम में एनआरसी के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के लिए अपशिष्ट प्रबंधन उपायों के बारे में मामला उठाया।

(20) डॉ॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धर ने भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(21) प्रो॰ सौगत राय ने उचित मूल्य दुकान के डीलरों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(22) श्री लावु श्रीकृष्णा देवरायालू ने मसालों के लिए एमईआईएस लाभों को वापस लिए जाने के बारे में मामला उठाया।

(23) श्री संभाजीराव माने धैर्यशील ने महाराष्ट्र में बाढ़ और बेमौसम वर्षा के कारण गन्ने की फसल की क्षति के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को प्रतिकर प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(24) डॉ॰ जी॰ रंजीत रेड्डी ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबावली, तेलंगाना में रिक्तियों के बारे में मामला उठाया।

(25) श्री के॰ नवासखनी ने रामेश्वरम् में विमानपत्तन स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(26) श्री इन्द्रा हांग सुबा ने सिक्किम के 11 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(27) श्रीमती पूनम महाजन ने कृत्रिम मांस उत्पादित करने के बारे में मामला उठाया।

(28) श्री हरीश द्विवेदी ने बस्ती संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में संत रविदास वन विहार को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(29) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ने नांदेड़ संसदीय क्षेत्र, महाराष्ट्र में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.53 बजे

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2019-2020

लिया गया समय: 5 घंटे 05 मिनट

वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रथम बैच—मांग सं. 1 से 4, 7, 8,10, 11, 14 से 17, 19, 20, 22 से 27, 29, 32 से 34, 38, 40 से 44, 46 से 49, 51, 53, 56 से 58, 60 से 62, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 82 से 84, 86, 89 से 91, 93, 94 और 96 से 100 के संबंध में चर्चा।

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''अब सभा वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी।

प्रो॰ सौगत राय ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर 7 कटौती प्रस्ताव सभा पटल पर प्रस्तुत किए हैं। अगर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर पटल पर पर्ची भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हों।

तत्पश्चात्, पेश किए गए माने गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांकों को दर्शाने वाली सूची शीघ्र ही सूचना-पट्ट पर लगाई जाएगी। अगर सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया अतिशीघ्र इसे पटल पर अधिकारी के संज्ञान में लाएं।''

7 कटौती प्रस्ताव (1 से 7) प्रस्तुत किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्री राजीव प्रताप रुड़ी
3. डॉ॰ डीएनवी सेंथिलकुमार एस॰
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री विनायक भाऊराव राऊत

6. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डॉ॰ जी॰ रंजीत रेड्डी
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री निहाल चंद चौहान
11. श्री सु॰ थिरूनवुक्करासर
12. श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टी
13. एडवोकेट ए॰वी॰ आरिफ
14. कुंवर दानिश अली
15. श्री हसनैन मसूदी
#16. डॉ॰ जितेन्द्र सिंह
17. श्री असादुद्दीन ओवैसी
18. डॉ॰ मनोज राजोरिया
19. श्री किंजरापु राम मोहन नायडु
20. श्री कुलदीप राय शर्मा
21. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
22. श्री अधीर रंजन चौधरी
*23. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
*24. श्री एच॰ वसंतकुमार
*25. श्री सप्तगिरि सरकार उलाका
*26. श्री रितेश पाण्डेय
*27. श्री जगदम्बिका पाल

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अनुदानों की सभी अनूपरक मांग सं॰ 1 से 4, 7, 8,10, 11, 14 से 17, 19, 20, 22 से 27, 29, 32 से 34, 38, 40 से 44, 46 से 49, 51, 53, 56 से 58, 60 से 62, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 82 से 84, 86, 89 से 91, 93, 94 और 96 से 100 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों) वर्ष 2019-2020 के किए अनुदानों की अनुपूरक मांगें — प्रथम बैच की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 7.54 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019

13. सरकारी विधेयक पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधयेक, 2019

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.58 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4084LS(S3)—04-12-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2019/14 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 51

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241, 243, 244, 250, 253, 255, 257 और 258 के मौखिक उत्तर दिए गए। वे सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न 242 (244, 247, 249, 250, 253, 254, 255, 257 और 258 के साथ युग्मित), 247, 249 और 257 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

तारांकित प्रश्न संख्या 245, 246, 248, 251, 252, 256, 259 और 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजकुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क)(एक) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड), नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख)(एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग)(एक) डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीमापार विद्युत व्यापार) विनियम, 2019 जो 14 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-113/2/7/2015-पीएम/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एल-1/153/2019- सीईआरसी जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र के शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2019 का शुद्धिपत्र अंतर्निहित है।

(तीन) 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एल-1(3)/2009- सीईआरसी जिसमें 9 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या एल-1(3)/2009-सीईआरसी का शुद्धिपत्र अंतर्निहित है।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरूग्राम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरूग्राम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) संशोधन विनियम, 2019 जो 24 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर-2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰के॰ सिंह] ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2503(अ) जो 12 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 (पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग-24) पर डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.934 (वर्तमान चेनेज किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.000 तक) के छह लेन वाले दिल्ली-हापुड़ खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2504(अ) जो 12 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-93 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-509) पर डिजाइन किलोमीटर 85.650 से किलोमीटर 232.020 तक (किलोमीटर 108.264 से किलोमीटर 108.382 की संरचना के अलावा) के दो लेन वाले अलीगढ़-मुरादाबाद खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2505(अ) जो 12 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर डिजाइन किलोमीटर 311.585 से किलोमीटर 360.468 और किलोमीटर 379.465 से किलोमीटर 399.657 तक (वर्तमान किलोमीटर 311.000 से किलोमीटर 359.500 और किलोमीटर 378.500 से किलोमीटर 397.000 तक) के चार लेन वाले रीवा-कटनी-जबलपुर खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2611(अ) जो 22 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-30) पर डिजाइन चेनेज किलोमीटर 179.400 से किलोमीटर 240.570 (वर्तमान चेनेज

किलोमीटर 180.000 से किलोमीटर 241.000 तक) के दो लेन वाले बेडमा–दहीकोंगा खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2612(अ) जो 22 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी–चार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–43 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–30) पर डिजाइन चेनेज किलोमीटर 81.500 से किलोमीटर 129.912 (वर्तमान चेनेज किलोमीटर 81.500 से किलोमीटर 130.000 तक) के दो लेन वाले धमतरी–कांकेर खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 2613(अ) जो 22 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी–चार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–43 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–30) पर डिजाइन चेनेज किलोमीटर 240.570 से किलोमीटर 297.470 (वर्तमान चेनेज किलोमीटर 241.000 से किलोमीटर 298.000 तक) के दो लेन वाले दहीकोंगा–जगदलपुर खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2741(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी–चार के अंतर्गत हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–71 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–352) पर डिजाइन किलोमीटर 238.725 से किलोमीटर 307.000 (वर्तमान किलोमीटर 238.695 से किलोमीटर 307.000 तक) के चार लेन वाले पंजाब/हरियाणा सीमा–जींद खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2742(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाईब्रिड एन्युटी मोड पर एनएचडीपी–चार क के अंतर्गत राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–11क पर डिजाइन चेनेज किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 83.453 तक के दो लेन और चार लेन वाले दौसा–लालसोट–कथून खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2847(अ) जो 7 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–148ग किलोमीटर 0.300 से किलोमीटर 46.700 डिजाइन चेनेज तक (आगरा मार्ग और अजमेर मार्ग के बीच जयपुर रिंग रोड) के छह लेन वाले आगरा

मार्ग और अजमेर मार्ग खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 3020(अ) जो 22 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी चार (पैकेज-01) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-30) पर डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 21.850 (वर्तमान चेनेज राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के किलोमीटर 477.600 से राष्ट्रीय राजमार्ग 12क के किलोमीटर 22.800 तक) के दो लेन वाले जबलपुर-मांडला-चिल्पी खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 3021(अ) जो 22 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-तीन (पैकेज-1) के अंतर्गत हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.860 तक के चार लेन वाले अंबाला-कैथल खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3022(अ) जो 22 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-200 पर किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 68.000 तक के चार लेन वाले कनकतोरा से झारसुगुडा खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 3133(अ) जो 29 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-361 के डिजाइन चेनेज किलोमीटर 465.500 से किलोमीटर 524.690 (वर्तमान चेनेज किलोमीटर 85.374 से किलोमीटर 29.000 तक) के वर्धा-बूटीबोरी खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 3299(अ) जो 16 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-233 के डिजाइन किलोमीटर 65.870 से किलोमीटर 122.300 तक के घाघरा सेतु खंड के रुधौली से बस्ती साइड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 3300(अ) जो 16 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज तीन (पैकेज-2) के अंतर्गत हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के डिजाइन किलोमीटर 50.860 से किलोमीटर 95.418 (वर्तमान किलोमीटर 46.980 से किलोमीटर 88.135 तक) के अंबाला-कैथल खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 3301(अ) जो 16 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-चार के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-218 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-50) से डिजाइन किलोमीटर 195.30 से किलोमीटर 415.010 तक के बीजापुर-गुलबर्गा-होमनाबाद खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 3302(अ) जो 16 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी तीन के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 53.775 तक के भोपाल-सांची खंड की दो लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 3303(अ) जो 16 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-चार ख के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-3) के डिजाइन किलोमीटर 272.000 से किलोमीटर 309.345 तक के कुल्लू-मनाली खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3433(अ) जो 23 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के डिजाइन चेनेज किलोमीटर 256.550 से किलोमीटर 290.880 (नया चेनेज किलोमीटर 263.160 से किलोमीटर 297.490 तक) के कोटा-डारा खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 3606(अ) जो 4 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-354

(पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 21) (खेमकरण कस्बे से अमृतसर बाईपास खंड तक) के उपयोगकर्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क दरों के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 3745(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-214क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 216) के किलोमीटर 195.000 से किलोमीटर 254.500 तक (डिजाइन चेनेज किलोमीटर 184.910 से किलोमाटर 242.784 तक) के इपुरीपालेम- ओंगले खंड की दो लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 3746(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-361 के डिजाइन चेनेज किलोमीटर 400.575 से किलोमीटर 465.500 तक के यवतमाल-वर्धा खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 3747(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-73 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 344) के किलोमीटर 119.022 से किलोमीटर 176.400 तक (वर्तमान किलोमीटर 118.754 से किलोमीटर 179.249 तक) के उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा-यमुनानगर-साहा- बरवाला-पंचकुला खंड की चार/छह लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 3748(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-चार (पैकेज-1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग-7 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग -30) के डिजाइन चेनेज किलोमीटर 242.400 से किलोमीटर 311.585 तक (वर्तमान चेनेज किलोमीटर 242.600 से किलोमीटर 311.000 तक) के रीवा-कटनी-जबलपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 3749(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी चार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय रजामार्ग-200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 130 और 49) के डिजाइन चेनेज किलोमीटर 48.580 से किलोमीटर 126.525 तक

(वर्तमान चेनेज किलोमीटर 45.860 से किलोमीटर 124.650 तक) के रायपुर–बिलासपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 3839(अ) जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 के किलोमीटर 36.600 से किलोमीटर 174.750 तक के बोरखेड़ी–यरला–महाराष्ट्र/तेलंगाना सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 3840(अ) जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–18) के वर्तमान किलोमीटर 277.500 से किलोमीटर 333.500 तक के महुलिया–बहरागोरा–झारखंड/ पश्चिम बंगाल सीमा खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग– 49) के वर्तमान किलोमीटर 199.200 से किलोमीटर 13.587 तक के बहरागोरा–खड़गपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 3980(अ) जो 4 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी तीन के अंतर्गत बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–85 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से डिजाइन किलोमीटर 94.258 (वर्तमान चेनेज किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 93.500 तक) के छपरा–गोपालगंज खंड की दो लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 3981(अ) जो 4 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज–चार (पैकेज–4) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 30) के डिजाइन किलोमीटर 399.657 से किलोमीटर 467.916 (वर्तमान किलोमीटर 397.000 से किलोमीटर 465.500 तक) के रीवा–कटनी–जबलपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2019 जो

16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 658(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का०आ० 3292(अ) जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन के गठन के बारे में है।

(दो) का०आ० 3293(अ) जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन के गठन के बारे में है।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र सारंगी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट-डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट-डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेन्ट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेन्ट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेन्ट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेन्टर), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेन्ट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेन्टर), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) फ्रेगरेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रेगरेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेन्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इन्डस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेन्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इन्डस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेन्टर फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेन्टर फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा यथापारित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा यथापारित दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ संजय जायसवाल ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (2019-2020) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जल शक्ति मंत्रालय—जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ''अनुदानों की मांगें'' (2019-20) संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय—पेयजल और स्वच्छता विभाग की ''अनुदानों की मांगें'' (2019-20) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

श्रीमती कानिमोझी करुणानिधि ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के ''औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के विशेष संदर्भ में औषधियों का मूल्य निर्धारण'' के संबंध में समिति के 54वें प्रतिवेदन (2018-19) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की ''अनुदानों की मांगें (2019-20)'' संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगें (2019-20)'' संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की ''अनुदानों की मांगें (2019-20)'' संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(लोक सभा अपराह्न 1.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा ट्रेनों में महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और मुंबई में महिला यात्रियों को रेलवे टिकट काउन्टरों पर वरीयता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ राजदीप राय द्वारा असम के सिल्चर में सीजीएचएस औषालय का परिचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रेबती त्रिपुरा द्वारा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को और अधिकार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अरूण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों की कांस्य मूर्तियां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में जयाप्रभु सेतु मार्ग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को जीवन बीमा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती रेखा अरूण वर्मा द्वारा देश में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किए जाने के बारे में।

(8) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा यमुना समझौते के अनुसार पेयजल और सिंचाई प्रयोजनों के लिए राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 1.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(9) श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 और 231 को जोड़ने वाले प्रस्तावित बाईपास निर्माण के स्थान की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मोहनभाई कुंडारिया द्वारा गुजरात के राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोर्बी में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा ठेका श्रमिकों की समस्याओं के बारे में।

(12) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा खजुराहो से दिल्ली तक लिंक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा विद्यालय परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) कुमारी राम्या हरिदास द्वारा केरल के पलक्कड़ जिले में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन की स्थापना के बारे में।

(15) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा तमिलनाडु के कल्लाकुरुचि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के लंबे समय से लंबित पट्टा भूमि मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा कृभकों द्वारा उर्वरकों और संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के बारे में।

(18) श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पुलों के निर्माण के बारे में।

(19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में सियाल्दह-केनिंग रेलवे लाइन के चांदखली हॉल्ट स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा थाने, कल्याण और वसई के बीच प्रस्तावित अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के कार्य में तेजी लाने के बारे में।

(21) श्री एम॰ सेल्वराज द्वारा तिरुवयूर छंटनी कार्यालय का दर्जा कम किए जाने के बारे में।

(22) श्री नव कुमार सरनीय द्वारा उल्फा और अन्य संगठनों का भारत सरकार के साथ शांति वार्ता के बारे में।

अपराह्न 2.06 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 52 मिनट

श्री सुरेश कोडिकुन्नील ने विभिन्न कारणों से फसल को हुई क्षति और इसका किसानों पर प्रभाव के बारे में चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री वीरेन्द्र सिंह
2. श्री एस॰एस॰ पलानीमणिक्कम
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
5. श्री विनायक भाऊराव राऊत
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. कुंवर दानिश अली
9. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
12. श्री सुनील कुमार सिंह
13. श्री फ्रांसिस्को कोस्मे सर्दिन्हा
14. श्री जयदेव गल्ला
15. श्री एम॰ सेल्वराज
16. डॉ॰ (श्रीमती) प्रीतम मुंडे
17. श्री हनुमान बेनीवाल
18. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
19. श्रीमती नवनित रवि राणा
20. श्री दुष्यंत सिंह
21. श्री थोमस चाज़िकाडन

22. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
23. श्री नंद कुमार सिंह चौहान
24. श्री अब्दुल ताहेर खान
25. श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू
26. श्री धर्मवीर सिंह
27. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
28. श्री रितेश पाण्डेय
29. श्री रामुलु पोथुगन्ती
30. श्री देवुसिंह जेसिंहभाई चौहान
31. श्रीमती सुप्रिया सुले
32. डॉ॰ सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील
33. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
34. श्री प्रतापराव जाधव
35. श्री देवजी एम॰ पटेल
36. डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
37. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
38. श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटील
39. श्री भगवंत मान
40. श्री भागीरथ चौधरी
41. श्री अनिल फिरोजिया
42. श्री धैर्यशील संभाजी माणे
43. श्री अजय भट्ट
44. श्री अमर सिंह
45. श्री सौमित्र खान
46. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
47. श्री रविन्द्र कुशवाहा
48. श्री रमेश बिधूड़ी
49. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

%10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सायं 7.58 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 6 *दिसम्बर,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

%सायं 7.26 बजे।

MGIPMRND—4144LS(S3)—05.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2019/15 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 52

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 261, 262, 267, 269, 270 और 273 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसके उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 269 और 270 के बारे में सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 263—266, 268, 271, 272, 274 और 275 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 276—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

महिला और बाल विकास मंत्री; वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) ऊन अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद्, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद्, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ॰ हर्षवर्धन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, गुरूग्राम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, गुरूग्राम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, नयी मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, नयी मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉरमेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉरमेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) ईएसएसओ-नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईएसएसओ-नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) ईएसएसओ-नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) ईएसएसओ-नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) भर्ती विनियम, 2019 जो 2 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एन-10/001(6)/2015-पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित केंद्रों के संबंध में वर्ष 2018-2019 के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान), बंगलौर।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आर्थिक विकास संस्थान), दिल्ली।

(2) (एक) भारतीय नर्सिंग परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय नर्सिंग परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय तपेदिक और श्वास रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तपेदिक और श्वास रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नई दिल्ली तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2019 जो 30 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एसटीडीएस/एसपी (वाटर एंड बेवरेजेज)/अधिसूचना(5)एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (अतिरिक्त खाद्य की प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019 जो 30 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आरईजी/11/27/सरप्लस फूड/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(10) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 17 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 499(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चिकित्सा उपकरण (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 जो 16 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 787(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सा उपकरण (चौथा संशोधन) नियम, 2019 जो 13 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 652(अ) में प्रकाशित थे।

(चार) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (आठवां संशोधन) नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 223(अ) में प्रकाशित थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2019 का संख्यांक 15) (रक्षा सेवाएं)-आयुध निमार्णी के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 4 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (2019-20) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ''विनियोग लेखाओं में अपवाद रिपोर्टिंग के लिए अधिकतम सीमाओं का संशोधन'' संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) ''स्वास्थ्य और परिवार कल्याण'' के संबंध में समिति के 95वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) ''स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न संस्थाओं का आकलन'' के संबंध में समिति के 103वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (2019-20) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2019-20 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

7. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालूभाऊ धानोरकर *उर्फ* सुरेश नारायण ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित ''अनुदानों की मांगें (2019-20)'' संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित ''अनुदानों की मांगें (2019-20)'' संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित ''अनुदानों की मांगें (2019-20)'' संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 17वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

9. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 5 दिसंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.14 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने देश भर में महिलाओं के प्रति जघन्य अत्याचारों के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. कुंवर दानिश अली
4. श्री अनुभव मोहंती
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्री अरविन्द गणपत सावंत
7. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह
8. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
9. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया

&10. श्री गौरव गोगोई

श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री दुष्यंत सिंह, श्री सुधीर गुप्ता और श्रीमती सुप्रिया सुले सहयोजित हुए।

#श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ने उत्तर दिया।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.50 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 1.32 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

&अपराह्न 12.45 बजे।

#महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री।

अपराह्न 1.32 बजे

(लोक सभा अपराह्न 1.38 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.32 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.46 बजे

(लोक सभा सोमवार, 9 *दिसम्बर,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

दिनांक 5.12.2019 के समाचार—भाग 1, संख्या 51 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 18, क्रम सं॰ 12 कृपया 'सुनील कुमार सिंह' के स्थान पर 'सुशील कुमार सिंह' पढ़ें।

पृष्ठ 19, क्रम सं॰ 40 के पश्चात् क्रम सं॰ 41 श्री जसबीर सिंह गिल जोड़ा जाए।

MGIPMRND—4179LS(S3)—06.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 53

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष महामहिम श्री मोहम्मद नशीद और संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों जो सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, का स्वागत करते हुए घोषणा की।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281—286, 288, 289 और 291 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 287 और 290 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 287 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 292—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक') ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से वित्त मंत्री द्वारा 23.08.2019, 30.08.2019 और 14.09.2019 को अर्थव्यवस्था, निर्यात और आवासन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए की गई बजट-पश्चात् घोषणाओं पर स्थिति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) गाडेन रबग्येलिंग मोनैस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गाडेन रबग्येलिंग मोनैस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रशिक्षु (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 686(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र), विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र), विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी मंडी गोबिन्दगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी मंडी गोबिन्दगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान संभलपुर, संभलपुर के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान संभलपुर, संभलपुर के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिहार, मोतिहारी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) सर्वशिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2016–2017 और 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2016–2017 और 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सर्व शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कवरत्ती के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कवरत्ती के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (समग्र शिक्षा), चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (समग्र शिक्षा), चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015, 2015-2016 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015, 2015-2016 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) सर्व शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुबई के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) सर्वशिक्षा अभियान तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) सर्व शिक्षा अभियान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) चौथा संशोधन विनियम, 2019, जो 6 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 1-8/2019 (डीईबी-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2019, जो 7 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एस॰ सं॰ 309/अकादमिक/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 10(5) के संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या सीयूएसबी/एडमिन/द्वितीय कोर्ट/01/2018-19, जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—

(एक) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा

(दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

(तीन) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा

(चार) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पापुम पारे

(पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

(छह) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, बेरहामपुर

(सात) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा

(आठ) बड़ौदा राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक, अजमेर

(नौ) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

(दस) केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

(ग्यारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

(बारह) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

(तेरह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

(चौदह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

(पन्द्रह) एलाक्वाई देहाती बैंक, श्रीनगर

(सोलह) ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, लखनऊ

(सत्रह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी

(अठारह) जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू

(उन्नीस) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची

(बीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

(इक्कीस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी

(बाईस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

(तेईस) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लप्पुरम

(चौबीस) लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक, दीफू

(पच्चीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर

(छब्बीस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

(सत्ताईस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल

(अठ्ठाईस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग

(उन्तीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजॉल

(तीस) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर

(इक्तीस) ओडिशा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर

(बत्तीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सलेम

(तैंतीस) पांडियन ग्राम बैंक, विरुधुनगर

(चौंतीस) पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, हावड़ा

(पैंतीस) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बल्लारी

(छतीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

(सैंतीस) पुदुवई भरथियार ग्राम बैंक, पुदुचेरी

(अड़तीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(उन्तालीस) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर

(चालीस) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर

(इकतालीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर

(बयालीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

(तैतालीस) सर्व यू॰पी॰ ग्रामीण बैंक, मेरठ

(चवालीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

(पैंतालीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

(छियालीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

(सैंतालीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलंगीर

(अड़तालीस) उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

(उन्चास) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(पचास) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून

(इकावन) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

(बावन) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर

(5) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल फाइनेंश्यिल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन पर वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शोध सहयोगियों और परामर्शदाताओं का नियोजन) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी041 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (गवर्निंग बोर्ड बैठकों के लिए प्रकिया) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी042 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (मॉडल बाई-लाज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसोलवेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी043 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/ 2019-20/जीएन/आरईजी044 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी045 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफारमेशन यूटिलिटीज) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी046 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी047 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी048 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 25 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी049 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्यों को चिकित्सा सुविधा) (संशोधन) योजना नियम, 2019 जो 5 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वित्तीय सेवा प्रदाताओं का दिवाला और समापन कार्यवाही तथा अधिन्यायन प्राधिकारी पर लागू होना) नियम, 2019 जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 852(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट लेनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया हेतु अधिन्यायन प्राधिकारी पर लागू होना) नियम, 2019 जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 854(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) का॰आ॰ 4126 (अ) जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 दिसम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में

नियत किया गया है, जब उक्त संहिता में उल्लिखित वे प्रावधान, जो कॉर्पोरेट लेनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित है, ही प्रभावशील होंगे।

(चौदह) का॰आ॰ 3458 (अ) जो 25 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार और श्री बी॰ श्रीराम, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड को अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 2953 (अ) जो 16 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जब दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधान प्रभावशील होंगे।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (निगमन) छठा संशोधन नियम, 2019 जो 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (महत्वपूर्ण लाभग्राही) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो 1 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 466(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निधि (संशोधन) नियम, 2019 जो 1 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) चौथा संशोधन नियम, 2019 जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 527(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 528(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (शेयर कैपिटल और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2019 जो 16 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 574(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (निगमन) सातवां संशोधन नियम, 2019 जो 28 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 603(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण संशोधन नियम, 2019 जो 5 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) पांचवा संशोधन नियम, 2019 जो 1 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 749(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2019 जो 1 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 750(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2019 जो 11 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 777(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2019 जो 16 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 792(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (वर्धनीय व्यापार रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेजों और फार्म का भरना) संशोधन नियम, 2019 जो 16 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 794(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी (निगमन) आठवां संशोधन नियम, 2019 जो 16 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 793(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2019 जो 22 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पांचवा संशोधन नियम, 2019 जो 22 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक का निर्माण और रखरखाव) नियम, 2019 जो 22 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 805(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, जो 23 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/36 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (निक्षेप) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 16 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰498(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019, जो 17 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰सा॰का॰नि॰795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियम, 2019, जो 17 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰सा॰का॰नि॰796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निक्षेप प्राप्तियां (संशोधन) स्कीम, 2019, जो 7 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰9/1/2013-ईसीबी (भाग-2) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019, जो 17 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना का॰आ॰3732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) का॰आ॰3715(अ), जो 15 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 अक्तूबर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उक्त अधिनियम की धारा 139, धारा 143 का खंड (एक) और धारा 144 के उपबंध प्रभावी होंगे।

(सात) का॰आ॰3722(अ), जो 16 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लिखतों का ऋण लिखतों के रूप में निर्धारित किया गया है।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2019, जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 614(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2019, जो 5 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3215(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) ई-निर्धारण स्कीम, 2019, जो 12 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3264(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 3266(अ), जो 12 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जून, 2018 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2413(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (7वां संशोधन) नियम, 2019, जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 661(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2019, जो 20 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 679(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2019, जो 27 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 694(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2019, जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 701(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2019, जो 6 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 825(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क के अंतर्गत और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2019, जो 21 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ आईआरडीएआई/रजि॰/14/165/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2019, जो 18 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3350(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2019, जो 18 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3351(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2019, जो 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4159(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2019, जो 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4160(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(16) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2019 जो 14 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 779(अ) में प्रकाशित हुआ था, कि एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 874(अ), जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 माह तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 875(अ), जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को अक्तूबर, 2019 माह तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 876(अ), जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को जुलाई, 2019 से अक्तूबर, 2019 माह तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 877(अ), जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 माह तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 878(अ), जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत व्यक्तियों

के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख को प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को अक्तूबर, 2019 माह तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 879(अ), जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के संबंध में संक्रमण योजना को 30 अक्तूबर, 2019 से अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 870(अ), जो 22 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करना है।

(18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 776(अ), जो 11 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - सात में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 859(अ), जो 19 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – सात में संशोधनों का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 132 के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019, जो 25 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 526(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य के संव्यवहार संबंधी प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019, जो 13 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰सीसीआई/सीडी/संशो॰/संयो॰विनि॰/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य के संव्यवहार संबंधी प्रक्रिया) दूसरा संशोधन विनियम, 2019, जो 30 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰सीसीआई/ सीडी/संशो॰/संयो॰विनि॰/2019(2) में प्रकाशित हुए थे।

(23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3705(अ), जो 14 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 418 के साथ पठित धारा 458 के अंतर्गत अधिकरणों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4024(अ), जो 7 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा (5) के प्रयोजनों के लिए मैसर्स गो एअरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड और टाटा एसआईए एअरलाइंस लिमिटेड (विस्तार) को "अभिहित भारतीय वाहक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 871(अ), जो 22 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 8/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 872(अ), जो 22 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि अपनी 5 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा यथापारित कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं की है।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कमलेश पासवान ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''सड़क क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए ऋण'' के बारे में समिति के 236वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 272वां प्रतिवेदन।

(2) ''भारत में बौद्ध परिपथ का विकास'' के बारे में समिति के 262वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 273वां प्रतिवेदन।

(3) ''संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं'' के बारे में समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 274वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित ''अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं'' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति

संबंधी स्थायी समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए—

(i) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें 2018-19' के संबंध में समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ii) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'जन शिक्षण संस्थान स्कीम' के संबंध में समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.04 बजे

8. नियम 374 के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों के निलंबन के बारे में प्रस्ताव—प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया

उपरोक्त प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने %टिप्पणी की कि यह मामला उनके विचाराधीन है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सदन की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए।

अपराह्न 12.12 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) संविधान (126 वां संशोधन) विधेयक, 2019

प्रो॰ सौगत राय ने विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

%मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद **देखें**।

अपराह्न 12.18 बजे

(दो) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री टी॰आर॰ बालू, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टी, प्रो॰ सौगत राय, श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर, डॉ॰ शशि थरूर और श्री असादुद्दीन ओवैसी ने विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ: हां 306; ना 105

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

*अपराह्न 1.40 बजे

(तीन) समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019

डॉ॰ शशि थरूर ने विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

विदेश मंत्री (डॉ॰ सुब्रमण्यम जयशंकर) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

अपराह्न 1.49 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा संस्कृत शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मुकेश राजपूत द्वारा आलू विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में चाहरदीवारी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 1.42 बजे से अपराह्न 1.48 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पुणे और बेंगलुरू के लिए प्रतिदिन ट्रेन सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उपजाए जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा रायलसीमा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12793/12794) को महाराष्ट्र के नांदेड़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा असम के गुवाहटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की वजह से उत्पन्न भू-अवसादन एवं भू-अपरदन की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जी॰ एस॰ बसवराज द्वारा कर्नाटक में पेयजल की संकट से निपटने के लिए आपातिक योजना की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती पूनम महाजन द्वारा फ्रांस के मरसे में वीर सावरकर स्मारक बनाए जाने के प्रस्ताव के बारे में।

(10) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में जलाशयों को खेतों से जोड़े जाने वाली नहरों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ सुकान्त मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल में कालियागंज से बुनियादपुर तक नई रेल लाइन परियोजना के बारे में।

(13) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा कामकाजी महिलाओं द्वारा बच्चों की देखरेख संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में।

(14) डॉ॰ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में गोड्डा होते हुए देवधर और पीरपैंती के बीच रेल लाइन के निर्माण में आ रही समस्याओं के बारे में।

(15) श्री अब्दुल खालेक द्वारा असम के बारपेटा शहर को धरोहर शहर के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में सुंदर वन के सदाबहार वनों को बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) सुश्री एस॰ जोतिमणि द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बकाया पारिश्रमिक के भुगतान हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ गौतम सिगामणि पोन द्वारा तमिलनाडु के कल्लाकुरूचि जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री राजेन्द्र गावित द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी द्वारा बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर फ्लाइओवर बनवाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) प्रो॰ अच्युतानंद सामंत द्वारा देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का एकीकरण किए जाने के बारे में।

(22) कुंवर दानिश अली द्वारा भारत सरकार की एमपीक्यूईएम तथा एमपीईएमएम योजनाओं के अंतर्गत नियुक्त मदरसा शिक्षकों को मानदेय की बकाए राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री रामुलु पोथुगन्ती द्वारा तेलंगाना के नगर कुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित येरावल्ली चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री चन्दन सिंह द्वारा बिहार की सकरी नदी पर बैराज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में होस्टल फीस बढ़ाए जाने के कारण छात्रों द्वारा हड़ताल किए जाने के बारे में।

अपराह्न 1.50 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 2 घंटे 47 मिनट

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती परनीत कौर

2. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
3. श्री ए॰ राजा
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
6. श्री अच्युतानंद सामंत
7. श्री अरविन्द गणपत सावंत
8. श्री महाबली सिंह
9. श्री श्याम सिंह यादव
10. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
11. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
12. डॉ॰ एस॰टी॰ हसन
13. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
14. श्री असादुद्दीन ओवैसी
15. श्री जसबीर सिंह गिल
16. श्री एस॰ जगतरक्षकन
17. श्रीमती माला राय
18. श्री हेमन्त पाटिल
19. श्री भर्तृहरि महताब

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 और 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 4.37 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 7 घंटे 28 मिनट

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
3. श्री दयानिधि मारन
4. श्री अभिषेक बनर्जी
5. श्री पी॰पी॰ मिधुन रेड्डी
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री राजीव रंजन ललन सिंह
8. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
9. श्री अफजल अंसारी
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्री नामा नागेश्वर राव
12. डॉ॰ एस॰टी॰ हसन
13. श्री चिराग पासवान
14. श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टी

15. श्री एस॰ वेंकटेशन
16. श्री अधीर रंजन चौधरी
17. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
18. श्री असादुद्दीन ओवैसी
19. श्री सुखवीर सिंह बादल
20. श्री गौरव गोगोई
21. श्री दिलीप घोष
22. श्री के॰ सुब्बारायण
23. श्री बदरूद्दीन अजमल
24. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
25. श्री हनुमान बेनीवाल
26. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
27. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
28. श्री तोखेहो येपथोमी
29. श्री सी॰ लालरोसांगा
30. डॉ॰ लोरहो फोज़
31. श्री नव कुमार सरनीया
32. सुश्री अगाथा के॰ संगमा
33. श्री शंकर लालवानी
34. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
35. श्री शान्तनु ठाकुर
36. श्री थोमस चाज़िकाडन
37. श्री दिलीप शइकीया
38. श्री थोल तिरुमावलवन
39. श्री भगवंत मान
40. श्री पल्लव लोचन दास

41. श्री भर्तृहरि महताब
42. श्री सौमित्र खान
43. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
44. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
45. डॉ॰ राजदीप राय
46. डॉ॰ राजकुमार रंजन सिंह
47. श्री शशि थरूर
48. श्री राजू बिष्ट

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

श्री पी॰ के॰ कुन्हलीकुट्टी द्वारा खंड 2 पर प्रस्तुत किए गए संशोधन सं॰ 4 पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हाँ 94, #नहीं 304 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 2 पर प्रस्तुत किए गए संशोधन सं॰ 23 पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हाँ 12, #नहीं 311 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 3 पर प्रस्तुत किए गए संशोधन सं॰ 24 पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हाँ 9, #नहीं 312 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हाँ 311, #नहीं 80

#शुद्धिकरण के अध्यधीन।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

%पूर्वाह्न 12.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 10 *दिसम्बर,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

%सभा 10.12.2019 को पूर्वाह्न 12.05 बजे स्थगित हुई।

MGIPMRND—4255LS(S3)—09.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019/19 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 54

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301—305 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 306—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रांची का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 18) (अनुपालन लेखापरीक्षा)-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टों के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) स्वर्गीय उन्नासाव नारायण पाटली बहुउद्देश्यीय संस्था, जलगांव के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) स्वर्गीय उन्नासाव नारायण पाटली बहुउद्देश्यीय संस्था, जलगांव के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019, जो 19 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4149(अ)/आव॰ वस्तु/गन्ना में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 627(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) विनियम, 2019 जो 4 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या बीएस/11/09/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3546(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सभी पात्र

लाभार्थियों के लिए चावल हेतु 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं हेतु 2 रुपए प्रति किलो और मोटे अनाज हेतु 1 रुपए प्रति किलो के राजसहायता प्राप्त मूल्यों को 30 जून, 2019 से आगे तथा अगले आदेशों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत किशमिश श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2019, जो 22 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 517(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2019, जो 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 863(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4274(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुसूची-1 के पैरा 4 उप-पैरा 1 मद (एक)(1) में 'सरकारी या पंचायत भवनों में छत के ऊपर वर्षा जल संचयन ढांचे' वाक्यांश शामिल करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखी।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 23 नवम्बर, 2019 की उद्घोषणा, जो 23 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 873(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में 12 नवम्बर, 2019 को उनके द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा का भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत प्रतिसंग्रहण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रपति को प्रस्तुत महाराष्ट्र के राज्यपाल के 22 नवम्बर, 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 3259(अ) जो 12 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ई-एफआरआरओ को प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप आवर्जन ब्यूरो में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 3260(अ) जो 12 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एफआरआरओ मॉड्यूल को प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप आवर्जन ब्यूरो में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1858(अ) जो 28 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर के देवी अहिल्या बाई

होल्कर विमानपत्तन को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत आप्रवास चैक पोस्ट घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1859(अ) जो 28 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुख्य आप्रवास अधिकारी देवी अहिल्या बाई होल्कर विमानपत्तन इंदौर को विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 28.05.2019 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आंट्रप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आंट्रप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ शशि थरूर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

6. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

7. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री संजय काका पाटील ने 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की समीक्षा' विषय के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.06 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने (एक) 'विदेशियों के लिए निरुद्ध शिविर' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के 19 नवम्बर, 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य दिया।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान' के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(लोक सभा अपराह्न 1.06 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई)

*अपराह्न 2.06 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा बिहार के अररिया जिले में रेल सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने के बारे में।
2. श्री मनोज कोटक द्वारा प्लास्टिक कचरे से बिजली एवं हाई स्पीड डीजल के उत्पादन हेतु प्रायोगिक परियोजना के बारे में।
3. श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के समतुल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी, भोटी और राजस्थानी को शामिल किए जाने के बारे में।
5. श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रेल सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री शंकर लालवानी द्वारा इंदौर से मुंबई और दिल्ली तक हाई स्पीड रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी किए जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 2.02 बजे से अपराह्न 2.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

8. श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू और कश्मीर के जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी धान की फसल के लिए किसानों को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के निर्माण में कथित लापरवाही बरते जाने के बारे में।

10. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सशस्त्र बलों के लिए भर्ती रैलियां आयोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल द्वारा गुजरात में बोतड – साबरमती और धासा–जेतलसर–जूनागढ़ रेल लाइनों के दोहरीकरण संबंधी कार्यों में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल द्वारा लद्दाख के लेह और कारगिल जिले में रहने वाले निवासियों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

13. श्री गणेश सिंह द्वारा रेलवे में सभी भूमि विस्थापितों को रोजगार दिए जाने एवं इसे एक नीतिगत निर्णय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री मोहन मण्डावी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर और बस्तर में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री राम कृपाल यादव द्वारा सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट प्रश्नपत्र हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्रीमती गीताबेन राठवा द्वारा गुजरात के छोटा उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री नितेश गंगा देब द्वारा ओडिशा के सतकोषिया वन्यजीव अभ्यारण्य के विकास हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री टी॰एन॰ प्रथापन द्वारा सभी को नि:शुल्क सरकारी शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री एच॰ वसंत कुमार द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराध को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा केरल के कोझीकोड अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर आगमन पर वीजा दिए जाने की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. डॉ॰ टी॰ सुमति (ए॰) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियम द्वारा तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में ननगुनेरी विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के पचास किलोमीटर मार्ग खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. प्रो॰ सौगत राय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में।

25. श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा पश्चिमी घाटों की अंतिम पर्यावरण-संवेदी अधिसूचना जारी किए जाने के बारे में।

26. डॉ॰ आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज में केन्द्रीय विद्यालय के लिए स्थायी भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री के॰ नवासखनी द्वारा तमिलनाडु के रामनाथपुरम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विशेष केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री एस॰ वेंकटेशन द्वारा तमिलनाडु के मदुरै में भारतीय विज्ञान शिक्षा सेवा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

29. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हत्याकांड की सीबीआई से त्वरित जांच कराए जाने के बारे में।

30. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा सुपर स्पैशिलिटी इलाज से संबंधित ईएसआईसी के आदेश की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.31 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 4 घंटे 12 मिनट

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हिबी ईडन
2. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
3. श्रीमती के॰ कनिमोझी
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्रीमती गाड्डेति माधवी
6. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
7. श्री सुनील कुमार पिंटू
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री गिरीश चन्द्र
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
13. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
14. श्री पी॰आर॰ नटराजन
15. श्री एम॰ सेल्वराज
16. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
17. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार
18. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
19. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
20. डॉ॰ संघमित्रा मौर्य
21. श्री डी॰ रविकुमार
22. श्री सुनील कुमार मंडल
23. श्री किंजरापु राम मोहन नायडु
24. श्रीमती अनुराधा चिंता

25. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
26. श्रीमती जसकौर मीना
27. श्रीमती संगीता आजाद
28. श्री बैन्नी बेहनन
29. श्री रामुलु पोथुगन्ती
30. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 355, #नहीं शून्य। सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंड वार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 को स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 332, #नहीं शून्य।

सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1 के संशोधन संख्या 1 पर मत-विभाजन हुआ और यह स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित को स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 351, #नहीं शून्य।

सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक, यथासंशोधित को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

#शुद्धिकरण के अध्यधीन

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 352, #नहीं शून्य।

सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक बहुमत द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

सायं 6.43 बजे

(लोक सभा बुधवार, 11 *दिसम्बर,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

#शुद्धिकरण के अध्यधीन

MGIPMRND—4278LS(S3)—10.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019/20 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 55

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 (331 के साथ युग्मित), 322, 323 (338 के साथ युग्मित) तथा 324—327 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 328—330, 332—337, 339 तथा 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3783, 3785—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' (श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट) के नियम 47 के अंतर्गत अतारांकित प्रश्न संख्या 3784 का लोप किया गया।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदनों—(दिसम्बर, 2019) पर 14वें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) नेशनल जूडिशियल अकैडमी इंडिया, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूडिशियल अकैडमी इंडिया, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) संशोधन विनियम, 2019 जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एल/61/10-एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे तथा उनकी एक युक्तिका जो दिनांक 19 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या एल/61/10-एनएएलएसए में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) संशोधन विनियम, 2019 जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एल/28/09/एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (संशोधन) विनियम, 2019 जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 6(2)/96-एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 12)—कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा—खनन गतिविधियों के कारण होने पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन तथा कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों, कोयला मंत्रालय में इसके न्यूनीकरण के संबंध में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ॰ जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडनकी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडनकी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ईसीजीसी (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईसीजीसी (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजैड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजैड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमईपीजैड स्पेशल इकॉनोमिक जोन, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमईपीजैड स्पेशल इकॉनोमिक जोन, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) मैरीन प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैरीन प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) स्पाइसेज़ बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्पाइसेज़ बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्पाइसेज़ बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कांडला एसईजैड अथॉरिटी, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं तथा सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

तेरहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 36	दसवां सत्र, 2002

चौदहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 34	तीसरा सत्र, 2004
3. विवरण संख्या 32	तेरहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या 36	दूसरा सत्र, 2009
5. विवरण संख्या 29	तीसरा सत्र, 2009
6. विवरण संख्या 31	चौथा सत्र, 2010
7. विवरण संख्या 31	पांचवां सत्र, 2010
8. विवरण संख्या 29	छठा सत्र, 2010
9. विवरण संख्या 28	सातवां सत्र, 2011
10. विवरण संख्या 31	आठवां सत्र, 2011
11. विवरण संख्या 28	नौवां सत्र, 2011
12. विवरण संख्या 27	दसवां सत्र, 2012
13. विवरण संख्या 25	ग्यारहवां सत्र, 2012
14. विवरण संख्या 24	बारहवां सत्र, 2012

15. विवरण संख्या 24	तेरहवां सत्र, 2013
16. विवरण संख्या 20	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

17. विवरण संख्या 19	दूसरा सत्र, 2014
18. विवरण संख्या 19	तीसरा सत्र, 2014
19. विवरण संख्या 18	चौथा सत्र, 2015
20. विवरण संख्या 15	छठा सत्र, 2015
21. विवरण संख्या 13	सातवां सत्र, 2016
22. विवरण संख्या 13	आठवां सत्र, 2016
23. विवरण संख्या 12	नौवां सत्र, 2016
24. विवरण संख्या 10	दसवां सत्र, 2016
25. विवरण संख्या 10	ग्यारहवां सत्र, 2017
26. विवरण संख्या 8	बारहवां सत्र, 2017
27. विवरण संख्या 7	तेरहवां सत्र, 2017-18
28. विवरण संख्या 6	चौदहवां सत्र, 2018
29. विवरण संख्या 5	पंद्रहवां सत्र, 2018
30. विवरण संख्या 3	सोलहवां सत्र, 2018-19
31. विवरण संख्या 2	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोक सभा

32. विवरण संख्या 1	पहला सत्र, 2019

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आधार (आधार सत्यापन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का संख्यांक 1) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ के-110022/ 632/2019/अथॉ॰-यूआईडीएआई (2019 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का संख्यांक 3) जो 9 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ के-13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई (13)/ वोल्यूम॰ II (2019 का संख्यांक 3) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 116-6/2017-एनएसएल-II/(वोल्यूम॰ III) जो 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर संशोधन नियम, 2019 जो 16 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 856(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 14)—प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नबासप्पा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डेडीकेटिड फ्रेंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडीकेटिड फ्रेंट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड़) (एक) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) इंडियन रेलवे वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत अथॉराइजेशन ऑफ रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट्स (संशोधन) नियम, 2019 जो 21 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4219(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ मुरलीधरन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2019 जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 663(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 9 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का की–गई–कार्रवाई विवरण

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने 'हिरासत में महिलाएं और न्याय तक पहुंच' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2016–2017) के 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2017–2018) के 13वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की–गई–कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019–20)' के बारे में पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री नामा नागेश्वर राव ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'आर्गेनिक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर' के बारे में 150वां प्रतिवेदन।

(2) 'व्यापार तथा उद्योग पर बैंककारी दुर्विनियोजन का प्रभाव' विषय के बारे में समिति के 146वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में 151वां प्रतिवेदन।

8. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दयानिधि मारन ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'गैर–सीमा सुरक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) की कार्य दशाओं के बारे में समिति के 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई' संबंधी 220वां प्रतिवेदन।

(2) 'सीमा सुरक्षा बलों (असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल) की कार्य दशाओं के बारे में समिति के 214वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 221वां प्रतिवेदन।

(3) 'दिल्ली में बिगड़ती यातायात स्थिति का प्रबंधन' संबंधी 222वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तट रक्षक, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, कैंटीन स्टोर विभाग, रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम, पूर्व-सैनिकों का कल्याण, रक्षा पेंशन और पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग संख्या 19 और 22) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 20) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और सामरिक क्षेत्रों तक संपर्क सड़कों सहित बारहमासी सड़क संयोजक्ता का प्रावधान-एक मूल्यांकन' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय डाक बैंक को एक भुगतान बैंक के रूप

में स्थापित करना—व्याप्ति, उद्देश्य और ढांचा' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय उद्योग पर चीनी वस्तुओं का प्रभाव' विषय के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

अपराह्न 12.08 बजे

(दो) वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

श्री अधीर रंजन चौधरी, प्रो॰ सौगत राय अैर श्रीमती महुआ मोइत्रा ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगें।

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

*अपराह्न 12.34 बजे

(तीन) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन और प्रो॰ सौगत राय ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगें।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

---

*अपराह्न 12.42 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(चार) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

(लोक सभा अपराह्न 1.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

*अपराह्न 2.02 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में जलमग्नता क्षेत्र का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना लगाए जाने के बारे में।
3. डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा भोपाल में जबलपुर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को उर्वरक मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा वर्णान्धता (कलर ब्लाइंडनेस) से पीड़ित लोगों को दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. डॉ॰ सुजय विखे पाटील द्वारा महाराष्ट्र की ऊपरी प्रवरा (नीलवंडे-II) परियोजना के बारे में।

---

*अपराह्न 2.03 बजे से अपराह्न 3.29 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

9. श्री राजीव प्रताप रुडी द्वारा पश्चिमी गंडक नहर से बिहार को पानी दिए जाने के बारे में।

10. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा संसद सदस्यों की सिफारिश पर रेलगाड़ियों में मुख्यालय/आपात कोटा के अंतर्गत 5 प्रतिशत सीटे आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री जॉन बर्ला द्वारा पश्चिम बंगाल में चाय बागान के कामगारों को पारिश्रमिक दिए जाने के तरीके के बारे में।

12. श्री भागीरथ चौधरी द्वारा मार्बल एवं ग्रेनाइट पर जीएसटी की दर घटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा हरियाणा के रोहतक और झज्जर जिलों में सीजीएचएस औषधालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी पुल के दोनों ओर संपर्क सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा देश भर में पेट्रोल पंपों पर शौचालय की सुविधा एवं उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वीकृत फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा रेवाड़ी–सीकर ट्रेन संख्या 59728/29 को जयपुर तक बढ़ाए जाने एवं ट्रेन संख्या 12955/56 को रींगस, सीकर, झुंझुनू, सूरजगढ़ और लोहारू के रास्ते चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री बालूभाऊ *उर्फ* सुरेश नारायण धानोकर द्वारा महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के किसानों से संबंधित मुद्दों के बारे में।

19. श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश द्वारा मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

20. श्री दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के वनवासियों और आदिवासी लोगों को भी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. डॉ॰ डी॰ रविकुमार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक–अपशिष्ट कानून के समुचित कार्यान्वयनके बारे में।

22. कुमारी गोड्डेति माधवी द्वारा आंध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए बसावटों की संख्या संबंधी शर्त को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री अपरदन के बारे में।

24. सुश्री नुसरत जहां रुही द्वारा बांग्लादेश से भारत में बहने वाली इच्छामती नदी का तलकर्षण संबंधी कार्य शुरू करने के लिए बंगलादेश की सरकार से अनुरोध जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगांल में सुदर वन का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सक दिए जाने एवं डायलिसिस केन्द्र स्थापित किए जाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिला स्थित दिवारी स्थान में दूरदर्शन केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच कोयला उपकर के बंटवारे के बारे में।

29. डॉ॰ गद्दाम रणजीत रेड्डी द्वारा तेलंगाना के विकाराबाद में एक आयुष अस्पताल खोले जाने के बारे में।

30. श्री के॰ सुब्बारायण द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजटीय आबंटन के बारे में।

अपराह्न 3.30 बजे

12. संयुक्त समिति को भेजे जाने के लिए विधेयक—प्रस्ताव स्वीकृत

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

श्री रवि शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि व्यष्टियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों, और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा

सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य, अर्थात्—

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
2. श्री पी॰पी॰ चौधरी
3. श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया
4. श्री तेजस्वी सूर्या
5. श्री अजय भट्ट
6. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
7. श्री संजय जायसवाल
8. डॉ॰ किरिटभाई सोलंकी
9. श्री अरविंद धर्मापुरी
10. डॉ॰ हिना गावीत
11. श्री उदय प्रताप सिंह
12. श्री राजीव रंजन सिंह
13. श्री गौरव गोगोई
14. सुश्री एस॰ ज्योति मणि
15. प्रो॰ सौगत राय
16. श्रीमती कनिमोझी
17. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी
18. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

19. श्री भर्तृहरि महताब

20. श्री रितेश पाण्डेय

तथा राज्य सभा के 10 सदस्य सम्मिलित होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए, गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाएं;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे।

प्रस्ताव पर श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किया गया संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

संदर्भ के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.44 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक, 2019

लिया गया समय: 3 घंटे 05 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कार्ती पी० चिदम्बरम
2. श्री पी० पी० चौधरी
3. श्री डी० एम० कथीर आनंद
4. प्रो० सौगत राय
5. श्री कोटागिरी श्रीधर

6. श्री राहुल रमेश शेवाले
7. श्री बी॰ बी॰ पाटील
8. श्री कौशलेन्द्र कुमार
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री रितेश पाण्डेय
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री श्रीनिवास केसिनेनी
13. श्री एस॰ वेंकटेशन
14. श्री अजय मिश्र टेनी
15. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
16. श्री अमर सिंह
17. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
18. श्री एंटो एन्टोनी
19. श्री अधीर रंजन चौधरी
20. श्रीमती महुआ मोइत्रा
21. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 और 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17 और 18 स्वीकृत हुए।

खंड 19 से 21 स्वीकृत हुए।

खंड 22 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 27 से 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31 स्वीकृत हुआ।

खंड 32 से 34 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

[$]रात्रि 8.34 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

[$]सायं 6.49 बजे से रात्रि 8.34 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—4348LS(S3)—11.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2019/21 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 56

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 341 और 351 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 341 और 351 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 342—344, 345 (351 के साथ युग्मित), 346 (348 के साथ युग्मित), 347, 349, 350 और 352 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 353—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा खपत की स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप और रीति) संशोधन नियम, 2019 जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 311 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 19 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(2) अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी जो 19 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय संचरण प्रभारों का बंटवारा और हानियां) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(3) अधिसूचना संख्या एल–1/132/2013–सीईआरसी जो 19 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018–2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018–2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018–2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018–2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2018–2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2018–2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2018–2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2018–2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) गुजरात मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ट) (एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ठ) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरती के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरती के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2019 जो 2 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 468(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2019 जो 24 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 448(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 जो 25 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1066(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(12) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (वरिष्ठ लेखाधिकारी और लेखाधिकारी पद) भर्ती नियम, 2019 जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 286 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 2270(अ) जो 1 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एलएससी के रूप में बाद में अभिहित परिसरों और दुकान-सह आवासी प्लॉट/परिसरों के मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक उपयोग हेतु उपयोग संपरिवर्तन प्रभारों के नियतन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2271(अ) जो 1 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आवासीय संपत्तियों, सहकारी ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/वाणिज्य गलियों तथा वाणिज्य संपत्तियों (होटल और होटल पार्किंग को छोड़कर) के लिए एमपीडी 2021 के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई एफएआर के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2777(अ) जो 2 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली में पैदल आवाजाही में वृद्धि करने हेतु विनियम बनाए गए हैं।

(पांच) का०आ० 2891(अ) जो 9 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एलएससी के रूप में बाद में अभिहित दुकान-सह आवासीय प्लॉटों/परिसरों/दुकान प्लाटों हेतु उपयोग संपरिवर्तन प्रभारों के युक्तिकरण के बारे में है।

(छह) का०आ० 2892(अ) जो 9 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सीएससी/एलएससी और दुकान-सह-आवासीय परिसरों/दुकान-सह-आवासीय प्लाटों/दुकान प्लाटों के लिए अतिरिक्त एफएआर प्रभारों के युक्तिकरण के बारे में है।

(सात) का०आ० 2952(अ) जो 16 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नरेला में गोदाम/गोदाम कलस्टरों हेतु उद्ग्रहणीय बाहरी विकास प्रभारों (ईडीसी) के संशोधन के बारे में है।

(आठ) का०आ० 3358(अ) जो 18 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशन स्थापित करने के बारे में है।

(13) मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का०आ० 2265(अ) जो 25 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुणे मेट्रो लाइन-3 (हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर) परियोजना के संरेखण के बारे में है।

(दो) का०आ० 3706(अ) जो 14 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना गलियारा-3 (वनाज-रामवाडी) के संरेखण के बारे में है।

(तीन) का०आ० 2126(अ) जो 26 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मुंबई मेट्रो रेल परियोजना ठाणे-भिवंडी-कल्याण (लाइन-5) के संरेखण के बारे में है।

(चार) का०आ० 4147(अ) जो 19 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के संरेखण के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 3295(अ) जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली मेट्रो लाइन 9 (नजफगढ़ से ढांसा बस अड्डे तक विस्तार) के संरेखण के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 3296(अ) जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली मेट्रो लाइन 6 (एस्कोर्ट्स मुजेसर से राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ तक विस्तार) के संरेखण के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3297(अ) जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली मेट्रो लाइन 8 (कालिंदी कुंज से बोटेनिकल गार्डन, नोएडा तक विस्तार) के संरेखण के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3298(अ) जो 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली मेट्रो लाइन 3 (नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नोएडा तक विस्तार) के संरेखण के बारे में है।

(14) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) संशोधन नियम, 2019, जो 27 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 601(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) इनलैण्ड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैण्ड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) वी॰ ओ॰ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतिकोरिन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰ ओ॰ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतिकोरिन के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपत्तनम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) जवाहर लाल नहेरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी० के० सिंह] ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल हाइवेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइवेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का०आ० 4125(अ) जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-216) के किमी० 0.000 से किमी० 26.150

(डिजाइन चेनेज किमी॰ 0.000 से किमी॰ 27.500 तक) काथिपुड़ी से काकिनाड़ा बाइपास खंड के प्रांरभ को चार लेन बनाने संबंधी परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 4179(अ) जो 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-766) के किमी॰ 136.600 से किमी॰ 268.475, जिसमें किमी॰ 239.600 से किमी॰ 241.520 (1.920 किमी॰) भी शामिल है, केरल राज्य की सीमा से कोल्लेगल खंड को चार लेन बनाने संबंधी परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 4236(अ) जो 22 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पीकेजी-एक) के आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा से नालागमपल्ली गांव किमी॰ 133.360 से किमी॰ 171.590 (डिजाइन चेनेज किमी॰ 134.890 से किमी॰ 172.000) तक चार लेन तथा किमी॰ 172.000 (मौजूदा चेनेज किमी॰ 171.590) से किमी॰ 219.687 (मौजूदा चेनेज किमी॰ 216.912) (पीकेजी-दो) के नालागमपल्ली गांव से आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड तक चार लेन बनाने संबंधी परियोजना हेतु शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 4237(अ) जो 22 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-44) के डिजाइन किमी॰ 547.400 से किमी॰ 624.480 (मौजूदा किमी॰ 547.400 से किमी॰ 623.318) लखानदोन से मोहागोन सड़क खंड को चार लेन बनाने संबंधी परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 4238(अ) जो 22 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-IVबी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-202) पर किमी॰ 54.000 से किमी॰ 150.000 (डिजाइन चेनेज किमी॰ 54.000 से किमी॰ 153.103), यादगिरी से वारंगल खंड को चार लेन बनाने संबंधी परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र सारंगी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेन्ट्स), मुंबई के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेन्ट्स), मुंबई के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) की ओर से विधियों का अंगीकरण (संशोधन) आदेश, 2019 जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के खंड (2) के अंतर्गत जारी 11 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4433(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 10 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. लोक लेखा समिति का विवरण

श्री टी॰ आर॰ बालू ने 'केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कार्यकरण और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) के अकादमिक कार्यकलापों' के बारे में 121वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'एनएचपीसी लिमिटेड में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ सी॰ गद्दीगौदर ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:—

(1) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के 'कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाटों की भूमिका' विषय के बारे में 62वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 8वां प्रतिवेदन।

8. विदेशी मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ पी॰ चौधरी ने वर्ष 2019-20 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. विदेशी मामलों संबंधी समिति का विवरण

श्री पी॰ पी॰ चौधरी ने 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की भूमिका और भारतीय प्रवासियों सहित भारत की साफ्ट पावर कूटनीति' विषय के बारे में 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर विदेशी मामलों संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2019-20) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती अपराजिता सारंगी ने 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰के॰ विष्णु प्रसाद ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

13. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(5) 'जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यकरण का आकलन' के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 5वां प्रतिवेदन।

14. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री असित कुमार माल ने 'खेलो इंडिया योजना' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 311वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.07 बजे

15. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(लोक सभा अपराह्न 1.18 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.16 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.16 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों के नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

---

*अपराह्न 12.18 बजे से अपराह्न 1.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(1) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाली पड़ी रक्षा भूमि के बारे में।

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा हरियाणा के हिसार जिले के सोरखी गांव में रेलवे स्टेशन स्वीकृत किए जाने की असश्यकता के बारे में।

(3) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा राज्य सरकारों द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को अक्षरश: लागू किए जाने के बारे में।

(4) श्री खगेन मुर्मु द्वारा मालदा से दिल्ली और बेंगलुरू के बीच सुपर फास्ट ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अजय मिश्र टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोबाईल और इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत शामिल न किए गए गांवों को कनेक्ट किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्थापित किए जाने के बारे में।

(7) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा अंकलेश्वर से महाराष्ट्र सीमा तक और नेतरंग से राजपीपला तक राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दुर्गा दास उइके द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जंगलों में रह रहे किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधान संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रोगियों के उपचार के लिए होम्योपैथी डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा गुजरात के राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोरबी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में शबरीमाला का विकास किए जाने के बारे में।

(15) श्री के॰ सुधाकरन द्वारा रक्षा मंत्रालय में सहायक लेखा अधिकारियों के वेतन का संशोधन किए जाने के बारे में।

(16) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा भारत-नेपाल राजनयिक संबंध में बारे में।

(17) श्री ए॰ राजा द्वारा तमिलनाडु में उडगमंडलम में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने के बारे में।

(18) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा कृष्णा-गोदावरी नदी सम्पर्क परियोजना के बारे में।

(19) श्री राम शिरोमणि द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री जयदेव गल्ला द्वारा दक्षिण-मध्य रेलवे द्वारा अधिसूचना को वापस लिए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.17 बजे

17. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 7 घंटे 23 मिनट

श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा 5 दिसम्बर, 2019 को विभिन्न कारणों से फसल को हुई क्षति और किसानों पर इसके प्रभाव के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

अपराह्न 3.47 बजे

18. सरकारी विधेयक — पारित

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

लिया गया समय : 3 घंटे 58 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बेन्नी बेहनन
2. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
3. श्री ए॰ राजा
4. प्रो॰ सौगत राय
5. डॉ॰ बीसेट्टी सत्यवती
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. (डॉ॰) श्रीमती राजश्री मल्लिक
8. श्री हेमन्त पाटिल
9. कुंवर दानिश अली
10. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
11. श्री एस॰ वेंकटेशन
12. श्री के॰ सुब्बारायण
13. श्री किंजरापु राममोहन नायडू
14. श्री अरविन्द गणपत सावंत
15. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
16. श्री गणेश सिंह
17. श्री अब्दुल खालेक
18. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
19. डॉ॰ तिरुमावलवन थोल
20. श्री भगवंत मान
21. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
22. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
23. श्री डी॰ रवि कुमार

24. श्रीमती प्रतिमा मंडल

25. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ

[%]26. श्री प्रताप चन्द्र सारंगी

27. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

28. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 47 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

[$]रात्रि 8.36 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 13 *दिसम्बर,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

[%] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्यमंत्री; पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्यमंत्री।

[$] सायं 7.46 बजे से रात्रि 8.36 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—4402LS(S3)—12.12.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2019/22 अग्रहायण, 1941 (शक)

संख्या 57

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 18वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज के कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 361—380 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.32 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 12.01 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.15 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 12.15 बजे

3. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 17वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 12.23 बजे

4. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.24 बजे

(लोक सभा अपराह्न 12.24 *बजे* अनिश्चित काल *के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4472LS(S3)—13-12-2019.